पूर्ण पीठ

माननीय न्यायमूर्ति डी. के. महाजन, एच. आर. सोढ़ी और बल राज तुली के समक्ष

इंदर प्रकाश -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- प्रतिवादी

1971 की सिविल रिट संख्या 3604

18 नवंबर 1971.

भारत का संविधान -अनुच्छेद 234, 235 और 309-पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग 3.26 और खंड II, नियम 5.32 (c)-पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम (1951) - परिशिष्ट 'बी' आइटम है(b)— सरकारी कर्मचारी - सेवानिवृत्ति आयु - चाहे 58 वर्ष हो या 55 वर्ष नहीं अमान्य नोटिस द्वारा सरकारी कर्मचारी की समयपूर्व सेवानिवृत्ति-क्या इसे उच्च न्यायालय में रिट याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत—न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्ति-राज्य के उपाध्यक्ष - क्या मामलों में उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन हो जाते हैं - राज्य सरकार - क्या अपनी पहल पर एक न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्ति के लिए पूर्व आदेश दे सकती है।

अभिनिर्धारित (बहुमत से-महाजन और तुली, जे.जे., सोढ़ी, जे., कॉन्ट्रा) कि-सेवानिवृत्ति की आयु वह आयु है जिस पर, सेवा नियमों के तहत, न्यायिक अधिकारी या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को सेवा से सेवानिवृत्त होना आवश्यक है।किसी प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किए बिना सेवा। यदि कोई नियम सरकारी कर्मचारी को उसकी आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्ति के लिए आवेदनसेवानिवृत्ति की आयु, जिसे समय से पहले सेवानिवृत्त कहा जाएगा यापहले

सेवानिवृत्ति. पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग I के नियम 3.26 के तहत, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अलावा किसी भी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है और सरकार को तीन महीने के नोटिस पर सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है। पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 5.32 (सी) के तहत 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद,पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम (1951) के परिशिष्ट 'बी' का खंड II या आइटम (बी) सरकार के सामान्य अधिकार पर प्रतिबंध हैनौकर को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने के लिए कहा गया है। यदि नोटिस वैध है, तो सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होना होगा और वह दावा नहीं कर सकता ।उसे 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने का अधिकार है, लेकिन यदि उसे जारी किया गया नोटिस किसी भी कारण से अमान्य है, तो उसे 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का अधिकार है। वह हाई में रिट याचिका दाखिल कर सकते हैंन्यायालय उस अधिकार का दावा करेगा और अवैध नोटिस को रद्द करने की प्रार्थना करेगा।
(पैरा 7 और 9)

माना गया, (बहुमत से-महाजन और तुली, जे.जे., सोढ़ी, जे., कॉन्ट्रा.) कि किसी व्यक्ति को राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त किए जाने के बाद, राज्य सरकार कार्यात्मक अधिकारी बन जाता है और संपूर्ण नियंत्रण - प्रशासनिक, न्यायिक और अनुशासनात्मक - उच्च न्यायालय में निहित होता है। जब तक वह व्यक्ति सेवा में रहता है, उसकी सेवा के संबंध में सभी आदेश या तो उच्च न्यायालय द्वारा या राज्य सरकार द्वारा केवल उन मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय की सिफारिश पर पारित किए जाते हैं जिन पर राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत क्षेत्राधिकार दिया गया है न्यायिक सेवा को नियंत्रित करने वाला संविधान या सेवा की शर्तें। राज्य सरकार अपनी पहल पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकती. समयपूर्व सेवानिवृत्ति जैसा कि पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 5.32 (सी) और पंजाब सिविल (न्यायिक शाखा) नियम, 1951, के परिशिष्ट 'बी' में आइटम (बी) में परिकल्पित है, न तो बर्खास्तगी है और न ही निष्कासन, सजा के रूप में पारित किया गया ऐसा आदेश है। इसलिए, यह भीतर नहीं है किसी न्यायिक अधिकारी को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा से सेवानिवृत्त किया जाए या नहीं, यह तय करना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है। वह निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए और उस निर्णय पर प्रभाव सरकार द्वारा संविधान के अनुसार आदेश पारित करके दिया जाना चाहिए। ऐसा

आदेश प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण दोनों की श्रेणी में आता है। एक न्यायिक अधिकारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा में तभी बरकरार नहीं रखा जाएगा यदि उच्च न्यायालय उसे किसी भी कारण से सेवा में बने रहने के लिए अयोग्य पाता है। इतनी आयु प्राप्त करने के बाद और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, जो सेवानिवृत्ति की आयु है, सरकार को सेवा में बने रहने के लिए उनकी उपयुक्तता का न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता है। यदि ऐसी शक्ति राज्य सरकार को दी जाती है, तो यह उसकी एकमात्र शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है। तब सरकार अपने साथ काम करने वाले दबाव के अनुसार किसे चुन सकती है, चुनने के लिए स्वतंत्र होगी55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा में किसे रखा जाए और किसे नहीं रखा जाए, इस पर न्यायिक सेवा के सदस्यों को ध्यान देना होगा।55 वर्ष की आयु के बाद सेवा में बने रहने के लिए राज्य सरकार, न कि उच्च न्यायालय। इसका अर्थ यह होगा कि '55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर।

राज्य सरकार उच्च न्यायालय के बजाय न्यायिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है। यदि ऐसी स्थिति का सामना किया जाता है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत क्षीण हो जाएगी और संविधान निर्माताओं का उद्देश्य उच्च न्यायालय को अधीनस्थ पर नियंत्रण का एकमात्र संरक्षक बनाना था-राष्ट्रीय न्यायपालिका पूरी तरह से निराश हो जाएगी।

(पैरा 10)

अभिनिर्धारित (प्रति सोढ़ी, जे., कॉन्ट्रा.) , कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 58 वर्ष तक, नियुक्ति प्राधिकारी, जो न्यायिक मामलों में राज्य सरकार को भी निर्विवाद रूप से, बिना कोई कारण बताए, 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद ऐसी किसी भी शिकायत का निवारण करने का पूर्ण अधिकार बरकरार रखा गया है। ऐसे सरकार को एक संबंधित अधिकार उपलब्ध कराया जाता हैसरकारी सेवक को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद सेवानिवृत्त होना होगा। किसी अधिकारी को 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने की एकमात्र पूर्व शर्त यह है कि अधिकारी द्वारा स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने का चयन करने या सरकार द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए कहने से पहले दोनों तरफ से तीन महीने का नोटिस आवश्यक है। पंजाब के

नियम 3.26 में संशोधन द्वारा सरकारी कर्मचारी को जो भी अधिकार प्रदान किया गया है सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग I को 58 वर्ष की आयु तक अच्छे आचरण के अधीन सेवा में निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए एक साथ कटौती की जाती है। पंजाब सिविल *सेवा नियम, खंड II के नियम 5.32 में एक संशोधन पेश करके राज्य सरकार और सरकारी कर्मचारी दोनों के लिए यह वैकल्पिक बना दिया गया है कि वे नियुक्ति प्राधिकारी के पास एक अतिरिक्त शर्त के साथ तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त कर सकते हैं। बिना कोई कारण बताए किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाएँ समाप्त करने का पूर्ण अधिकार हैकि मामला किसी भी संदेह में न रहे. इन नियमों को अलग-अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता और यदि इन्हें एक साथ पढ़ा जाए तो यह एकमात्र अप्रतिरोध्य और उचित निष्कर्ष है निष्कर्ष यह है कि वैधानिक नियमों में संशोधन के आधार पर एक सरकारी कर्मचारी की सेवा की शर्तें और नियम तब बदल जाते हैं जब वह 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है। एक सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवा के नियमों और शर्तों को विनियमित करने वाले वैधानिक नियमों के मद्देनजर एक सरकारी कर्मचारी के रूप में उसकी स्थिति के कारण सेवानिवृत्ति की आयु, यानी 58 वर्ष तक सेवा में बने रहने का जो भी कानूनी अधिकार है, वह उपलब्ध नहीं है। उसे पूर्ण रूप सेनेस और 55 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर ओ.एन.बी.आरसही है कि वह बरकरार रखता हैउसकी सेवाएँ समाप्त करने से पहले तीन महीने का नोटिस।

(पैरा 31)

माना गया (प्रति सोढ़ी, जे., कॉन्ट्रा.) कि न्यायिक योजना का अवलोकनसेवा नियमावली में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि उच्च न्यायालय जो थाजब भर्ती को विनियमित करने वाले उक्त नियम बनाए गए थे, तब परामर्श किया गया था संविधान के अनुच्छेद 234 और अनुच्छेद 309 के परंतुक में परिकल्पित, अधिनियमयह स्वीकार किया गया कि समाप्ति की शक्ति का प्रयोग सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सिफारिश के बिना भी किया जा सकता है। सेवाओं की समाप्ति के मामले को वास्तव में एक अलग श्रेणी में रखा गया है और अकेले राज्य सरकार को इसमें शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया हैसंबद्ध। न्यायिक सहित सरकारी सेवकों के नियम एवं शर्तेंअधिकारी, प्रावधान के तहत राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित होते हैंसंविधान का अनुच्छेद 309. आरईएस में अधीनस्थ

न्यायिक सेवा के लिए नियमनियुक्तियों की रूपरेखा केवल राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद संविधान के अनुच्छेद 234 के तहत तय की जानी है।उच्च न्यायालय। सेवा की शर्तों में एक विशाल क्षेत्र शामिल है जिसमें पेंशन,छुट्टी, भत्ता, आदि और उनके संबंध में नियम आरती के अंतर्गत नहीं आते हैं अनिवार्य या समयपूर्व सेवानिवृत्ति का मामला सेवा के नियमों और शर्तों से संबंधित है और इसका दायरा कितना भी व्यापक क्यों न हो।अनुच्छेद 235 के तहत न्यायिक पर नियंत्रण का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गयाअधिकारीगण, इसका प्रयोग केवल उनकी शर्तों और नियमों के अनुसार ही किया जा सकता हैसेवा का भाव. जब तक न्यायिक अधिकारी है तब तक नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित हैअधिकारी सेवा में बने रहें, सवाल उनके सेवा में बने रहने का नहीं है55 वर्ष की आयु या उसके बाद की सेवा, जो मुख्य रूप से नियोक्ता (राज्य सरकार) और उसके कर्मचारियों के बीच का मामला है, एक बन जाती हैसंविधान के अनुच्छेद 235 के अर्थ के अंतर्गत नियंत्रण का मामला। सरकारी सेवा में 55 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर नियम एवं शर्तेंवैधानिक नियमों और एक नए नियम के आधार पर स्वतः ही भिन्न हो जाते हैंआदेश दिया गया है कि सेवा दोनों तरफ से तीन महीने के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 235 का कोई उल्लंघन नहीं हैइसमें तब शामिल होता है जब राज्य सरकार किसी न्यायिक अधिकारी की सेवाएँ उसकी आयु पूरी होने पर या उसके बाद तीन महीने के नोटिस पर समाप्त कर देती है।सेवा की शर्तों से संबंधित नियमों के अनुसार 55 वर्ष। यह मानना सही नहीं है कि राज्य सरकार न्यायपालिका को अपने अंगूठे के नीचे रखने की अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी और न्यायिक अधिकारियों पर लटकने वाली डैमोकल्स की तलवार के रूप में इसका उपयोग करेगी ताकि उन्हें 55 वर्ष की आयु के बाद सेवा में बने रहने के लिए कार्यपालिका की ओर देखना पड़े। साल। ऐसा दृष्टिकोण नहीं हो सकताकानून में बचाव किया.

20 अक्टूबर, 1971 को माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.के. महाजन और माननीय श्री जस्टस्टिस एच.आर. सोढ़ी की खंडपीठ द्वारा संदर्भित मामला-कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को। पूर्ण पीठ में माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.के. महाजन, माननीय न्यायमूर्ति एच.आर. शामिल हैं।सोढ़ी और माननीय श्री न्यायमूर्ति बाल राज तुली ने अंततः 18 नवंबर, 1971 को मामले का फैसला किया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है सर्टिओरीरी का रिट, या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश20 अगस्त, 1971 को सेवानिवृत्ति के नोटिस को प्रतिक्रिया द्वारा रद्द करते हुए जारी किया गया डेंट नंबर 1.

व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता.

जे.एन. कौशल, महाधिवक्ता, हरियाणा अशोक भान एडवोकेट के साथप्रतिवादी संख्या 1 और 3 के लिए ।

एच. एल. सिब्बल, महाधिवक्ता, पंजाब, एस. एस. कांग, डिप्टी के साथएडवोकेट जनरल, पंजाब, और एस. सी. सिब्बल, और जे. एम. सेठी, एडवोकेट, के लिएप्रतिवादी संख्या 2.

प्रलय

बी.आर. तुली, जे.-याचिकाकर्ता नवंबर, 1954 में वकीलों के बीच से पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के सदस्य के रूप में सेवा में शामिल हुए। उन्हें पंजाब सिविल सेवा (अब हरियाणा सिविल सेवा) की न्यायिक शाखा के लिए चुना गया था। लगभग 1 मई, 1965 को उन्हें टाइम-स्केल से चयन ग्रेड में पदोन्नत किया गया था 15 नवंबर, 1968 से हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के अधिकारी को 1 अप्रैल, 1970 से कार्यवाहक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और उन्हें हिसार में तैनात किया गया। 24 फरवरी, 1971 को उनकी आयु 55 वर्ष होने वाली थी, और उनके मामले पर उच्च न्यायालय ने विचार किया कि क्या 55 वर्ष की आयु में उनकी सेवानिवृत्ति की सिफारिश की जाए या उन्हें 5 वर्ष की आयु तक सेवा में लेने की सिफारिश की जाए। 58 वर्ष, जो पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग I के नियम 3.26 के तहत निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु है। उच्च न्यायालय की राय थी कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में याचिकाकर्ता का काम काफी संतोषजनक नहीं था। विशेषकर नागरिक पक्ष पर। इसलिए, हरियाणा सरकार को 22 जनवरी, 1971 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता के 55 वर्ष की आयु से अधिक सेवा में बने रहने के मामले पर विचार किया गया था और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में उनके असंतोषजनक कार्य के कारण, माननीय मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश 58 वर्ष की आयु तक सुपीरियर न्यायिक सेवा में उनकी निरंतरता की सिफारिश करने के इच्छुक नहीं थे। हालाँकि, उच्च न्यायालय

ने सिफारिश की कि एच 2 को हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में उनके मूल पद पर वापस भेजा जा सकता है और उन्हें 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। उस पत्र में, उच्च न्यायालय ने यह भी बताया कि हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के सदस्य के रूप में याचिकाकर्ता का काम औसत से ऊपर माना गया था और उसकी ईमानदारी विवाद से परे थी। राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर वापस लाने के लिए उच्च न्यायालय की सिफारिश पर सहमति व्यक्त की, लेकिन 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बनाए रखने के संबंध में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या याचिकाकर्ता के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हिसार के रूप में काम को असंतोषजनक पाए जाने के मद्देनजर, उसे 55 वर्ष की आयु के बाद भी सेवा में बनाए रखा जाना चाहिए। इस पत्र पर हाई कोर्ट ने अप्रैल को जवाब भेजा6, 1971, बताते हुए-

"छह महीने तक काम करने के बाद वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में याचिकाकर्ता के काम की समीक्षा की जाएगी और यदि वह इच्छुक पाया जाता है, तो राज्य सरकार को अपेक्षित नोटिस देने के बाद उसे सेवानिवृत्त करने की सिफारिश की जाएगी।"

सरकार से याचिकाकर्ता को 58 वर्ष की आयु तक सेवा में जारी रखने के आदेश देने का अनुरोध किया गया था।हाईकोर्ट का यह पत्र राज्य सरकार को मिलने पर मामले पर फिर से विचार किया और पंजाब सरकार के पत्र संख्या 4776-3जीएस (1) -64/15823, दिनांक 19/21 मई, 1964 के पैरा (iv) के अंतिम भाग की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मामले को वापस उच्च न्यायालय को भेज दिया। इस प्रकार पढ़ें:-

> "जब कोई सरकारी कर्मचारी लंबे समय से उच्च ग्रेड में कार्य कर रहा हो तो कठिनाइयां हो सकती हैं और ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वह प्रत्यावर्तन के बाद अपने काम में अपना मन लगाएगा। हालांकि, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए कोई सख्त नियम नहीं हैं निर्धारित किया जा सकता है और प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करना होगा।"

इसलिए, राज्य सरकार ने अपना विचार व्यक्त किया कि याचिकाकर्ता के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के पद से वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर वापस आने के बाद, उसके पूरे मन से काम करने की संभावना नहीं थी और इसलिए, वह ऐसा करेगा। जनहित में यह होगा कि उन्हें तीन माह का नोटिस देकर सेवानिवृत्त कर दिया जाए। उच्च न्यायालय राज्य सरकार के इस सुझाव से सहमत नहीं हुआ और 16 अगस्त, 1971 के पत्र के माध्यम से अपने पहले के विचार को दोहराया कि याचिकाकर्ता को 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बनाए रखा जा सकता है। हालांकि, राज्य सरकार उच्च न्यायालय की उक्त सिफारिश से सहमत नहीं थी और याचिकाकर्ता को पूंजा के नियम 5.32 (सी) के तहत सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया। सिविल सेवा नियम, खंड II, उसे तीन देने के बादमहीने की सूचना. वह नोटिस याचिकाकर्ता को 20 अगस्त 1971 को जारी किया गया था, जो इस प्रकार था:—

"से

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

को

श्री आई. पी. आनंद, एचसीएस (न्यायिक शाखा), वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, रोहतक।

दिनांक चंडीगढ़, 20 अगस्त, 1971।

विषय: श्री आई. पी. आनंद की सेवा से सेवानिवृत्ति का तीन महीने का नोटिस।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा के राज्यपाल ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श से निर्णय लिया है कि आपको तदनुसार सेवा से सेवानिवृत्त किया जाएगा हरियाणा राज्य पर लागू पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 5.32 (सी) से जुड़े नोट के प्रावधानों के साथ।

2. इसलिए, आपको नोटिस दिया जाता है कि इस संचार की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति पर, आप हरियाणा सरकार के तहत सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

इस नोटिस की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए उच्च न्यायालय को भेजी गई तथा दूसरी प्रति महालेखाकार, हरियाणा, चंडीगढ़ को भेजी गई। यह नोटिस प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता ने उसे दिए गए नोटिस की वैधता को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दायर की।

(2) याचिका में उठाए गए कानून का मुख्य बिंदु यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत, अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण पूरी तरह से उच्च न्यायालय में निहित है और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले याचिकाकर्ता की समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश दिया गया है। है, 58 वर्ष, केवल उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा नहीं। चूँकि उच्च न्यायालय ने उन्हें वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने के लिए उपयुक्त पाया, राज्य सरकार के पास पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 5.32 (सी) के तहत कोई शक्ति नहीं थी। याचिकाकर्ता को उस आयु से पहले सेवानिवृत्त करने के लिए तीन महीने का नोटिस जारी करें। याचिकाकर्ता ने सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री बंसी लाल की दुर्भावना का भी आरोप लगाया हैइस निर्णय के अंत में निपटाया गया।

(3) रिट याचिका के उत्तरदाताओं में हरियाणा राज्य (प्रतिवादी 1), चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए उच्च न्यायालय (प्रतिवादी 2) और श्री बंसी लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा (प्रतिवादी 3) हैं।

(4) प्रतिवादी 1 और प्रतिवादी 3 द्वारा लिखित बयान दायर किए गए हैं, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार की आक्षेपित नोटिस जारी करने की क्षमता और मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए गए दुर्भावनापूर्ण आरोपों से इनकार किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कोई प्रतिकृति दाखिल नहीं की गयी है.

(5) याचिका मेरे विद्वान भाइयों महाजन और सोढ़ी, जे.जे. की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई।

20 अक्टूबर, 1971, और इसमें शामिल प्रश्नों के महत्व को देखते हुए, विद्वान न्यायाधीशों ने मामले की सुनवाई पूर्ण पीठ द्वारा करने का निर्देश दिया। इस प्रकार इस रिट याचिका को निपटान के लिए इस पीठ के समक्ष रखा गया है।

(6) याचिकाकर्ता ने मामले पर स्वयं बहस की है लेकिन वह अधिक सहायता देने में सक्षम नहीं था। पंजाब राज्य के महाधिवक्ता श्री हीरा लाल सिल्बल ने उच्च न्यायालय की ओर से और श्री जे.एन. कौशल, महाधिवक्ता, हरियाणा ने हरियाणा राज्य की ओर से मामले पर बहस की है। दोनों विद्वान वकीलों ने हमें बहुत सहायता प्रदान की है और सभी पहलुओं से मामले पर कुशलतापूर्वक बहस की है।

(7) निर्धारण के लिए पहला बिंदु यह है कि न्यायिक अधिकारी के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है या 55 वर्ष। मेरे विचार में, सेवानिवृत्ति की आयु वह आयु है, जिस पर सेवा नियमों के तहत, एक न्यायिक अधिकारी या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किए बिना सेवा से सेवानिवृत्त होना आवश्यक है। यदि कोई नियम किसी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्ति का प्रावधान करता है, तो उसे समयपूर्व सेवानिवृत्ति या पहले की सेवानिवृत्ति कहा जाएगा। पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग I का नियम 3.26, एक न्यायिक अधिकारी सहित एक सरकारी कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित करता है, लेकिन 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, उसे बाद में सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता हो सकती है। पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 5.32 (सी) के तहत तीन महीने का नोटिस देने पर 55 वर्ष की आयु प्राप्त करना। इसलिए, सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है न कि 55 वर्ष। इस मामले पर मैसूर राज्य बनाम पद्मनाभाचार्य आदि (1) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा विचार किया गया था, इस मामले में मैसूर सेवा विनियम के नियम 294 (ए) ने सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष निर्धारित की थी, जिसमें नोट 4 था इन शर्तों में जोड़ा गया.—

> "शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु आम तौर पर अट्ठाईस वर्ष हो सकती है, और उन शिक्षकों के मामले में जो प्रशिक्षित

नहीं हैं, लेकिन जो अन्यथा कुशल हैं, सेवानिवृत्ति की आयु भी अट्ठाईस वर्ष हो सकती है।

मैसूर में सार्वजनिक शिक्षा निदेशक को प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति का आदेश देने का अधिकार है अराजपत्रित संवर्ग जिनका सेवा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और जो मानक के अनुरूप नहीं हैं, पचपन वर्ष की आयु में, और राजपत्रित सेवकों के मामले में, प्रत्येक मामले में सरकार की सहमति से उपरोक्त प्रावधान 20 अगस्त, 1954 से लागू हुआ माना जाएगा।"

यह नियम 294 (ए) में इस जोड़ का प्रभाव था जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया जिसके संबंध में उनके आधिपत्य ने देखा:—

"जहां तक प्रशिक्षित शिक्षकों का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नोट 4 में नियम 294 (ए) का एक अपवाद बनाया गया है, जिसमें प्रावधान है कि सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु 55 वर्ष है और यह सरकार को तय करना है कि शिक्षकों को विस्तार देना है या नहीं। व्यक्तियों को 55 वर्ष पूरे करने के बाद और यह विस्तार अनुदान ऐसे व्यक्तियों के 55 वर्ष की आयु के बाद सरकार की राय में कुशल बने रहने के आधार पर था। लेकिन नोट 4 ने उस स्थिति में जहां तक प्रशिक्षित शिक्षकों का संबंध है, बदलाव किया। परिवर्तन यह था कि प्रशिक्षित शिक्षकों के मामले में सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु 58 वर्ष होनी थी। हालांकि, नोट के उत्तरार्ध में लोक शिक्षण निदेशक को अराजपत्रित संवर्ग में प्रशिक्षित शिक्षकों को भी सेवानिवृत्त करने की शक्ति दी गई, बशर्ते कि उन्होंने ऐसा न किया हो। सेवा का रिकॉर्ड अच्छा था और वे मानक के अनुरूप नहीं थे। ऐसे मामले में निदेशक के पास उन्हें 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने की शक्ति थी यदि उनका मानना था कि उनकी सेवा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था और वे अच्छे नहीं थे। इस प्रकार, नियम 294 (ए) के तहत, जैसा कि 29 अप्रैल, 1955 से पहले था, प्रशिक्षित शिक्षकों सहित सभी के लिए सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु 55 वर्ष थी और फिटनेस के आधार पर विस्तार देना सरकार का काम था। लेकिन नियम 294 (ए) में नोट 4 जोड़े जाने के बाद, प्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में स्थिति बदल गई और प्रशिक्षित शिक्षक सामान्य रूप से 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने

के हकदार थे, जब तक कि निदेशक या सरकार, जैसा भी मामला हो, उनकी राय थी कि उनकी सेवा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था और वे मानक के अनुरूप नहीं थे। इसलिए, 29 अप्रैल, 1955 को किए गए परिवर्तन के बाद, प्रशिक्षित शिक्षकों को केवल 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जा सकता था, यदि सार्वजनिक शिक्षा निदेशक या सरकार, जैसा भी मामला हो, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके पास अच्छा प्रदर्शन नहीं था। सेवा का रिकार्ड मानक के अनुरूप नहीं था। इसलिए, इससे पहले कि वर्तमान अपील में उत्तरदाताओं को 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जा सके, सार्वजनिक शिक्षा निदेशक या सरकार, जैसा भी मामला हो, को इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा कि उनके पास सेवा का अच्छा रिकॉर्ड नहीं था और लक्ष्य तक नहीं थे. यदि इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया, तो वे नोट 4 के तहत 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने के हकदार होंगे। अपीलकर्ता की ओर से इस पर कोई विवाद नहीं है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया, अर्थात्, कि उत्तरदाताओं का सेवा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था और वे मानक के अनुरूप नहीं थे।

नोट 4 के पहले भाग में आने वाले शब्द 'आम तौर पर' पर जोर दिया गया है। उस शब्द की उपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु अभी भी 55 वर्ष है। नोट 4 के पहले भाग में 'आम तौर पर' शब्द का उपयोग क्यों किया गया है इसका कारण उसी नोट के उत्तरार्ध में पाया जा सकता है जहां लोक शिक्षण निदेशक को 55 वर्ष की आयु में प्रशिक्षित शिक्षकों को सेवानिवृत्त करने की शक्ति दी गई है।यदि उनके पास सेवा का अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और वे मानक के अनुरूप नहीं हैं। उस शक्ति के कारण नोट के पहले भाग में 'आम तौर पर' शब्द का उपयोग करना आवश्यक था, अन्यथा प्रशिक्षित शिक्षकों को 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का एक अपरिहार्य अधिकार होता, भले ही वे ऐसा न करते हों। उनका सेवा का रिकॉर्ड अच्छा है और वे मानक के अनुरूप नहीं हैं।

इन परिस्थितियों में, उत्तरदाता 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने के हकदार होंगे और नियम 294 में निहित सामान्य प्रावधान में नोट 4 द्वारा दिए गए अपवाद के मद्देनजर उन्हें 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त नहीं

किया जा सकता है (ए)। इसलिए, इस संबंध में अपीलकर्ता का तर्क खारिज किया जाना चाहिए।"

तर्क की समानता पर, यह माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु 58 वर्ष है और वह उस आयु तक सेवा में बने रहने का हकदार है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए वैध आदेश पारित नहीं किया जाता है। नियम
पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 के परिशिष्ट 'बी' में 5.32(सी) या आइटम (बी)।

(8) नियम 3.26 और नियम 5.32 उक्त न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष प्रीतम सिंह बराड़ बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2) में विचार के लिए आए, जिसमें यह भी माना गया कि-

"याचिकाकर्ता 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का हकदार था, लेकिन असली सवाल यह होगा कि क्या दोनों नियम, अर्थात् 3.26 और 5.32 अलग-अलग हैं और उन्हें एक साथ पढ़ा या लागू नहीं किया जा सकता है।"

(9) पंजाब राज्य बनाम मोहन सिंह महली (3) में इस न्यायालय की एक अन्य पूर्ण पीठ ने विद्वान वकील की रियायत पर टिप्पणी कीवह-

"55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, एक सरकारी कर्मचारी को बिना कोई कारण बताए सेवानिवृत्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि उसे 58 वर्ष नहीं, बल्कि 55 वर्ष तक सेवा में बने रहने का अधिकार है और उसके बाद, उसे अनुपालन के बाद सेवानिवृत्त किया जा सकता है। नियम 5.32'(सी) के साथ।"

यह अवलोकन किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 55 वर्ष कर दी गई है। सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है लेकिन एक सरकारी कर्मचारी को उस आयु से पहले और नियम 5.32 (सी) के तहत 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त किया जा सकता है। विद्वान न्यायाधीशों की एक अन्य टिप्पणी से यह स्पष्ट हैप्रभाव:—

"हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी सरकारी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने से पहले, नियम 5.32 (सी) के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और उसके तहत एक वैध नोटिस देना होगा। यह भी है यह सच है कि चाहे नियम 5.32 (सी) अनिवार्य हो या निर्देशिका, इसका अनुपालन करना होगा।"

इन निर्णयों के मद्देनजर, मेरा मानना है कि उपरोक्त नियम 3.26 के तहत, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अलावा किसी भी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है और सरकार को तीन महीने के नोटिस पर सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है। उसने नियम 5,32 (सी) के तहत 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, यह सरकारी कर्मचारी के सेवा में बने रहने के सामान्य अधिकार पर एक प्रतिबंध है। वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। यदि नोटिस वैध है, तो सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होना होगा और वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन यदि उसे जारी किया गया नोटिस किसी भी कारण से अमान्य है, तो उसे सेवा में बने रहने का अधिकार है। 58 वर्ष की आयु तक. वह इस अधिकार का दावा करने के लिए इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर सकता है और अवैध नोटिस को रद्द करने के लिए प्रार्थना कर सकता है। इसलिए, श्री जे.एन. कौशल का यह मानना सही नहीं है कि 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सरकारी हवलदारों को सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और वे रिट याचिका दायर करके उस रिगबीटी का दावा नहीं कर सकते हैं जिसमें नियम 5.32 (सी) के तहत नोटिस जारी किया गया है।) आबिद को चुनौती दी गई है। नतीजतन, मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर वर्तमान याचिका में नियम 5.32 (सी) के तहत हरियाणा राज्य द्वारा उसे जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी गई है और दावा किया गया है कि वह न्यूनतम आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने का हकदार है। सेवानिवृत्ति, यानी 58 वर्ष, या जब तक उच्च न्यायालय उसकी समय-पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए आदेश नहीं दे देता, तब तक कायम रखने योग्य है।

(10) अगला प्रश्न जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या हरियाणा राज्य द्वारा जारी किया गया नोटिस वैध है या नहीं। इस प्रयोजन के लिए, भारत के

संविधान के अनुच्छेद 233, 234 और 235 का उल्लेख करना आवश्यक है जो इस प्रकार हैं:—

"233 (1)। किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, और उनकी पोस्टिंग और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।

(2) कोई व्यक्ति जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, केवल तभी जिला न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा यदि वह सात साल से कम समय तक वकील या वकील रहा हो और उच्च न्यायालय द्वारा उसकी सिफारिश की गई हो। नियुक्ति।

234. किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्तियाँ राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और संबंधित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद उनके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएंगी। ऐसे राज्य को.

235. जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें पोस्टिंग और पदोन्नति भी शामिल है, और

किसी राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित और जिला न्यायाधीश के पद से निम्नतर कोई भी पद धारण करने वाले व्यक्तियों को छुट्टी देना उच्च न्यायालय में निहित होगा, लेकिन इस अनुच्छेद में किसी भी बात को ऐसे किसी भी व्यक्ति से कोई अधिकार छीनने के रूप में नहीं माना जाएगा। अपील की, जो उसने अपनी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कानून के तहत या उच्च न्यायालय को ऐसे कानून के तहत निर्धारित उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार व्यवहार करने के लिए अधिकृत करने के तहत की हो।"

याचिकाकर्ता राज्य की न्यायिक सेवा का सदस्य था जिस पर अनुच्छेद 235 लागू होता है। उस अनुच्छेद के अनुसार, याचिकाकर्ता का नियुक्ति प्राधिकारी राज्य का राज्यपाल था, जिसकी अभिव्यक्ति का अर्थ पंजाब राज्य बनाम शमशेर सिंह और अन्य (4) मामले में इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा "राज्य सरकार" माना गया है। उस मामले में यह माना गया कि सरकार पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के एक सदस्य की नियुक्ति और बर्खास्तगी प्राधिकारी है। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उस अनुच्छेद के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार की जानी है। किसी व्यक्ति को राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त किए जाने के बाद, वह प्रशासनिक, न्यायिक और अनुशासन से संबंधित सभी मामलों में उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन हो जाता है, सिवाय इसके कि अगर बर्खास्तगी या निष्कासन का आदेश पारित किया जाना हो। ठीक है. उस आदेश को पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार है। यह पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम नृपेंद्र नाथ बागची में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा आयोजित किया गया था

(5). उस मामले में, बागची 10 नवंबर, 1927 को मुंसिफ के रूप में सेवा में शामिल हुए थे। पदोन्नति के बाद वह अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश बन गए और कई स्टेशनों पर जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, लेकिन कभी भी उनकी पुष्टि नहीं की गई। सामान्य तौर पर वह 31 जुलाई, 1953 को सेवानिवृत्त होने वाले थे और सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन 14 जुलाई, 1953 के एक आदेश द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश दिया कि उन्हें 1 अगस्त से शुरू होने वाली दो महीने की अवधि के लिए सेवा में बनाए रखा जाना चाहिए। , 1953. बागची को उनके खिलाफ विभागीय जांच करने के उद्देश्य से सेवा में बरकरार रखा गया था। राज्य सरकार द्वारा 20 जुलाई, 1953 को एक आदेश द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा बीआईएम को एक आरोप पत्र दिया गया था और जांच एक आई.सी.एस. द्वारा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी. जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जिसके परिणामस्वरूप बागची को 27 मई, 1954 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।सेवा में समय-समय पर उस तिथि तक विस्तार किया गया। उसकाराज्यपाल के पास अपील विफल रही और उन्होंने अपनी बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय में आवेदन किया। यह दलील दी गई कि राज्य सरकार के पास जांच करने और उसके परिणामस्वरूप उसे बर्खास्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। वह क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय में निहित है। उच्च न्यायालय ने उस तर्क को स्वीकार कर लिया और उनकी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। पश्चिम बंगाल राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। उनके आधिपत्य ने न्यायपालिका को कार्यपालिका

से अलग करने के इतिहास और संविधान के अनुच्छेद 235 में प्रयुक्त 'नियंत्रण' शब्द के अर्थ का पता लगाया और देखा:—

> "आगे, जैसा कि हम पहले ही दिखा चुके हैं, इन अनुच्छेदों के अधिनियमन के पीछे का इतिहास इस बात का संकेत देता हैको प्रभावी करने के लिए 'नियंत्रण' उच्च न्यायालय में निहित किया गया थाउद्देश्य, अर्थात् अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना और जब तक इसमें अनुशासनात्मक नियंत्रण भी शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। निर्माण के लिए यह सहायता स्वीकार्य है क्योंकि किसी कानून का अर्थ जानने के लिए वैध रूप से सहारा लेना पड़ सकता हैकानून की पूर्व स्थिति, बुराई को दूर करने की मांग की गई और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कानून विकसित किया गया था। जैसा कि हमने देखा है, 'नियंत्रण' शब्द का प्रयोग पहली बार संविधान में किया गया था और इसके साथ 'वेस्ट' शब्द भी शामिल है जो एक मजबूत शब्द है। इससे पता चलता है कि हाई कोर्ट हैइसलिए, नियंत्रण केवल व्यवस्था करने की शक्ति नहीं हैन्यायपालिका पर नियंत्रण का एकमात्र संरक्षक बना दिया गया। न्यायालय के दिन-प्रतिदिन के कामकाज लेकिन पीठासीन न्यायाधीश पर अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार पर विचार करता है। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को इन अदालतों पर अधीक्षण देता है और उच्च न्यायालय को रिटर्न आदि मांगने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 235 में 'नियंत्रण' शब्द की सामग्री अलग होनी चाहिए। इसमें मात्र अधीक्षण के अलावा कुछ और भी शामिल है। यह न्यायाधीशों के आचरण और अनुशासन पर नियंत्रण है। यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से इंगित करने वाले दो अन्य संकेतों से और भी मजबूत हो गया हैएक ही दिशा. पहला यह कि का क्रमयदि सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कानून में ऐसा प्रावधान किया गया है तो उच्च न्यायालय को अपील के अधीन बनाया गया है और यह आवश्यक रूप से अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार में पारित आदेश को इंगित करता है। दूसरे, शब्द यह हैं कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश के साथ उसकी सेवा के नियमों के अनुसार 'सौदा' करेगा और 'सौदा' शब्द भी अनुशासनात्मक न कि केवल प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की ओर इशारा करता है।

अनुच्छेद 233 और 235 में दो अलग-अलग शक्तियों का उल्लेख है। पहली है व्यक्तियों की नियुक्ति, उनकी पोस्टिंग और पदोन्नति की शक्ति और दूसरी है

नियंत्रण की शक्ति। जिला न्यायाधीशों के मामले में, व्यक्तियों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन जिला न्यायाधीश पर नियंत्रण उच्च न्यायालय का होता है। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि इस्तेमाल किया गया शब्द 'जिला अदालत' है क्योंकि बाकी लेख स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि 'न्यायालय' शब्द का इस्तेमाल न केवल अदालत बल्कि पीठासीन न्यायाधीश को भी दर्शाने के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 235 का उत्तरार्द्ध भाग उस व्यक्ति की बात करता है जो पद संभालता है। जिला न्यायाधीश के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के मामले में नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जानी है लेकिन पोस्टिंग, पदोन्नति और अनुदान की शक्ति अवकाश और अदालतों का नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है। जो निहित है उसमें अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार भी शामिल है। यदि अनुशासनात्मक शक्तियों के साथ न हो तो नियंत्रण बेकार है। यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि अनुशासनहीनता के हर मामले में उच्च न्यायालय सरकार या राज्यपाल के पास जाएगा चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो और जिसमें बर्खास्तगी या निष्कासन की सजा की भी आवश्यकता न हो। इन लेखों से पता चलता है कि उच्च न्यायालय में 'नियंत्रण' निहित करने से अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रखा गया था। इसे आंशिक रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 में हासिल किया गया था, लेकिन इसे मसौदा तैयार करने वालों द्वारा पूरी तरह से लागू किया गया था।

वर्तमान संविधान. यह निर्माण संविधान के अनुच्छेद 50 में दिए गए निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप भी है:

'50, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।',,

'पश्चिम बंगाल राज्य के विद्वान वकील ने संविधान के अनुच्छेद 309 से 311 का हवाला दिया और आग्रह किया कि अनुच्छेद 311 के तहत एक सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी और निष्कासन नियुक्ति प्राधिकारी में निहित है और इसलिए, ऐसे आदेश न्यायिक के सदस्यों के लिए योग्य हैं। सेवा केवल राज्य सरकार द्वारा की जा सकती थी जिसका अर्थ था कि उच्च न्यायालय का अनुशासनात्मक नियंत्रण पूर्ण नहीं था।

विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि सरकार की यह शक्ति निर्धारित करती है कि जांच या द्वारा की जानी चाहिएराज्यपाल या सरकार के निर्देशों के तहत। उधार देनाअपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने अनुच्छेद 311 के खंड (2) के प्रावधानों (बी) और (सी) का उल्लेख किया लेकिन उनके आधिपत्य ने तर्क को खारिज कर दियानिम्नलिखित अवलोकन के साथ:—

"यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और राज्यपाल ही उन्हें बर्खास्त या हटा सकता है। यह उच्च न्यायालय के नियंत्रण में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसका मतलब केवल यह है कि उच्च न्यायालय जिला न्यायाधीशों को नियुक्त या बर्खास्त या हटा नहीं सकता है। उसी तरह उच्च न्यायालय दो प्रावधानों द्वारा प्रदत्त विशेष क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय यह तय नहीं कर सकता है कि जिला न्यायाधीश को कारण बताने का अवसर देना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है या राज्य की सुरक्षा के हित में है। ऐसा अवसर देना समीचीन नहीं है। यह केवल राज्यपाल ही निर्णय ले सकता है। यह कि कुछ शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल द्वारा किया जाना है, न कि उच्च न्यायालय द्वारा, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च न्यायालयों से अन्य शक्तियाँ छीन ली जाएँ। परन्तुक को उनका अधिकार दिया जा सकता है। अन्य निहितार्थों को जन्म दिए बिना पूर्ण प्रभाव। यह स्पष्ट है कि यदि दो प्रावधानों के तहत विशेष शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई मामला उठता है, तो उच्च न्यायालय को मामले को राज्यपाल पर छोड़ देना चाहिए। इस संबंध में हम संयोगवश यह जोड़ सकते हैं कि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिला न्यायाधीशों के खिलाफ जांच के संबंध में इन विशेष शक्तियों का प्रयोग करते समय, राज्यपाल हमेशा मामले में उच्च न्यायालय की राय का ध्यान रखेंगे। ऐसा राज्य में जांच प्राधिकारी कोई भी हो, ऐसा ही होगा। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उच्च न्यायालय को इससे अधिक जांच नहीं करनी चाहिए कि राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से जांच करनी चाहिए।

वहाँ है । इसलिए, अनुच्छेद 311 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस निष्कर्ष पर मजबूर करता हो कि उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है।यदि अनुच्छेद 235 में ऐसी शक्ति निहित है तो जांच कराने के

लिएइस में। हमारे निर्णय में, जो नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है, वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति (बर्खास्तगी और हटाने सहित) और पोस्टिंग और पदोन्नति के मामले में पूर्ण नियंत्रण केवल राज्यपाल की शक्ति के अधीन है। उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण के अभ्यास के भीतर, उच्च न्यायालय एन आयोजित कर सकता हैपूछताछ, बर्खास्तगी या निष्कासन के अलावा अन्य दंड देना, सेवा की शर्तों के अधीन, सेवा की शर्तों द्वारा प्रदान किए जाने पर अपील का अधिकार, और अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार कारण बताने का अवसर देना। 311 जब तक कि उस खंड के प्रावधानों (बी) और (सी) के तहत कार्य करने वाले राज्यपाल द्वारा ऐसा अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। इस मामले में उच्च न्यायालय ही जांच कर सकता था। अन्यथा धारण करना उसे उलट देना होगा जो इस दिशा में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ चुका है।"

इस फैसले में, उनके आधिपत्य ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि जो नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है, वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति (बर्खास्तगी और निष्कासन सहित) और पोस्टिंग और पदोन्नति के मामले में केवल राज्यपाल की शक्ति के अधीन पूर्ण नियंत्रण का विषय है। नियम 5.32(सी) में परिकल्पित समयपूर्व सेवानिवृत्तिउक्त, न तो बर्खास्तगी है, न निष्कासन है और न ही दंड के रूप में ऐसा कोई आदेश पारित किया गया है। इसलिए, यह तय करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि किसी न्यायिक अधिकारी को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा से सेवानिवृत्त किया जाए या नहीं। वह निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए और उस निर्णय को प्रभावी सरकार द्वारा एक आदेश पारित करके दिया जाना चाहिएसंविधान। ऐसा आदेश प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण दोनों की श्रेणी में आता है। एक न्यायिक अधिकारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा में केवल तभी बरकरार नहीं रखा जाएगा यदिहाई कोर्ट ने उन्हें किसी भी कारण से सेवा में बने रहने के लिए अयोग्य पाया। इतनी आयु प्राप्त करने के बाद और उससे पहले सेवा में बने रहने के लिए सरकार को उनकी उपयुक्तता

का न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता58 वर्ष जो सेवानिवृत्ति की आयु है। यदि ऐसी शक्ति राज्य सरकार को दी जाती है, तो यह उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण की एकमात्रता पर आघात करेगी, जिस पर बागची के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिफ द्वारा बार-बार जोर दिया गया है, (5) (सुप्रा)। इसके बाद सरकार अपने साथ चल रहे दबाव के अनुसार यह चुनने के लिए स्वतंत्र होगी कि किसे बनाए रखना है।55 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद किसे सेवा में रखा जाए और किसे नहीं रखा जाये वर्ष ताकि न्यायिक सेवा के सदस्यों को 55 वर्ष की आयु के बाद सेवा में बने रहने के लिए राज्य सरकार की ओर देखना होगा, न कि उच्च न्यायालय की ओर। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब यह होगा कि 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के बजाय न्यायिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है। यदि ऐसी स्थिति का सामना किया जाता है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत क्षीण हो जाएगी और संविधान निर्माताओं का उद्देश्य संविधान बनाना होगा।'उच्च न्यायालय अधीनस्थों पर नियंत्रण का एकमात्र संरक्षक*न्यायपालिका पूरी तरह से निराश हो जाएगी. यहां इस बात पर जोर देना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि बागची के मामले में उनके आधिपत्य, (5) (सुप्रा) ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 311 के खंड (2) के प्रावधान (बी) और (सी) के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला न्यायाधीश के विरुद्ध जांच के संबंध में राज्यपाल हमेशा इस मामले में उच्च न्यायालय की राय का ध्यान रखेंगे, हालांकि अनुच्छेद 311 (2) में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, जिसके तहत विशेष क्षेत्राधिकार राज्यपाल में निहित है। तर्क की समानता पर, यह कहा जा सकता है कि राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य के खिलाफ समय से पहले सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करते समय, राज्य सरकार को हमेशा मामले में उच्च न्यायालय की राय का ध्यान रखना होगा और वह राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उच्च द्वारा इस आशय की सिफारिश नहीं की जाती हैअदालत।

(11) हरियाणा राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ने जवाब में कहा कि संविधान निर्माताओं ने उच्च न्यायालय में न्यायपालिका पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखा था, बल्कि यह अधिनियम बनाकर उस पर बेड़ियाँ डाल दीं कि उस अनुच्छेद में कुछ भी अर्थ नहीं लगाया जाएगा। न्यायिक से संबंधित किसी भी व्यक्ति से छीनने के रूप मेंअपील के किसी भी अधिकार की सेवा, जो उसके पास उसकी सेवा की शर्तों को विनियमित

करने वाले कानून के तहत हो या ऐसे कानून के तहत निर्धारित सेवा की शर्तों के अलावा अन्यथा उच्च न्यायालय को उससे निपटने के लिए अधिकृत करने के रूप में हो। विद्वान वकील का तर्क है कि न्यायिक सेवा का एक सदस्य उसकी सेवा की शर्तों से शासित होता है और जिस अवधि तक उसे सेवा में रहना है वह उसकी सेवा की शर्तों में से एक है। इस प्रकार उनका कार्यकाल सरकार-नियोक्ता- द्वारा निर्धारित किया जाता है और वही प्राधिकारी उस अवधि को कम कर सकता है। इसलिए, यह माना जाता है कि उपरोक्त नियम 5.32 (सी) के तहत राज्य सरकार को किसी भी सरकारी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले तीन बार सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। महीनों का नोटिस और यह सेवा की वह शर्त है जिसके अधीन एक न्यायिक अधिकारी कार्य करता है।

राज्य। यदि नियम राज्य सरकार में पूर्ण शक्ति निहित करता हैअतः यह नहीं कहा जा सकता कि उस शक्ति का प्रयोग विषयाधीन हैउच्च न्यायालय के नियंत्रण में क्योंकि वे शब्द उस नियम में नहीं पाए जाते हैं। मेरी राय में, इस निवेदन में कोई दम नहीं है। यदि सेवा की कोई भी शर्त पूर्णतया प्रभावित होती हैअधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण, उस नियम को इस आधार पर असंवैधानिक करार देना होगा कि यह संविधान के अनुच्छेद 235 का उल्लंघन करता है। एक समान विपक्षअनुच्छेद 235 का निर्देश, जैसा कि श्री कौशल द्वारा हमारे सामने रखा गया है, पश्चिम बी राज्य के विद्वान वकील द्वारा सराहना की गई थी।पीबागची के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य में।

(5), लेकिन स्वीकार नहीं किया गया, जैसा कि रिपोर्ट के पृष्ठ 785 पर निम्नलिखित अवलोकन से स्पष्ट है:—

> "अंत में, यह तर्क दिया गया है कि सेवा की शर्तें अनुच्छेद 235 द्वारा परिकल्पित 'नियंत्रण' से बाहर हैं क्योंकि शर्तेंजिला न्यायाधीश के मामले में और न्यायाधीशों के मामले में सेवा का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाना हैद्वारा बनाये गये नियमों द्वारा जिला न्यायाधीश के अधीन हो जाता हैराज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद राज्यपाल उस संबंध में। हमें यह निर्माण स्वीकार नहीं है."

सेवा नियमों के अनुसार अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अपनाई जाने वाली प्रक्रिया यह है कि उच्च न्यायालय के अनुरोध पर राज्य सरकार पूछती हैराज्य लोक सेवा आयोग

एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा। उस परीक्षा के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन करती है। के नामउन उम्मीदवारों को उच्च न्यायालय को सूचित किया जाता है जहां उन्हें एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। जब भी कोई रिक्ति या रिक्तियां होती हैं, चाहे स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न, उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय रजिस्टर से चयन करता हैजिस क्रम में नाम उसमें दर्ज किए गए हैं और अधीनस्थ के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार को नाम अग्रेषित करता हैभारत के संविधान के अनुच्छेद 234 के तहत न्यायाधीश। प्रत्येकअधीनस्थ न्यायाधीश, पहली बार में, दो साल के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ाई जा सकती है। परिवीक्षा अवधि के दौरान, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, बिना कोई कारण बताए अधीनस्थ न्यायाधीश की सेवाओं से छूट देने के लिए अधिकृत है।

या उच्च न्यायालय की सिफ़ारिश पर किसी अधीनस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की पुष्टि करना। इसका तात्पर्य यह है कि चयनित उम्मीदवारों में से एक अधीनस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सिफारिश पर की जाती है और उसकी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उसकी सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा उसकी पुष्टि की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय इसकी अनुशंसा करता है तो उसे परिवीक्षा अवधि के दौरान उच्च न्यायालय या उसकी सेवाओं से मुक्त किया जा सकता है। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कार्रवाई उच्च न्यायालय की सिफारिश पर की जाती है, न कि उसकी अपनी पहल पर। अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार. जैसा कि बागची के मामले (5) में सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य द्वारा माना गया था, पूरी तरह से उच्च न्यायालय में निहित है जो सेवा से हटाने या बर्खास्तगी से कम सजा का कोई भी आदेश पारित कर सकता है। ये दोनों आदेश केवल नियुक्ति प्राधिकारी, यानी राज्य सरकार द्वारा पारित किए जा सकते हैं, लेकिन कदाचार या आरोपों की जांच जिसके कारण निष्कासन या बर्खास्तगी का आदेश दिया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जानी है। ऐसा तभी होता है जब उच्च न्यायालय सेवा से हटाने या बर्खास्तगी का आदेश पारित करने की सिफारिश के साथ मामले को राज्य सरकार को भेजता है, तभी राज्य सरकार उस आदेश को पारित करने का अधिकार क्षेत्र मानती है। जब तक उच्च न्यायालय ऐसी सिफारिश नहीं करता, राज्य सरकार सिर्फ इसलिए बर्खास्तगी या सेवा से हटाने का आदेश पारित नहीं कर सकती क्योंकि जांच हो चुकी है और राज्य सरकार की राय है कि बर्खास्तगी या सेवा से हटाने का आदेश अपेक्षित है। मैंने यह दिखाने के लिए इस तथ्य पर जोर दिया है कि न्यायिक सेवा के किसी सदस्य के

संबंध में कोई भी आदेश राज्य सरकार द्वारा सेवा शर्तों के अनुसार केवल उच्च न्यायालय की सिफारिश पर पारित किया जा सकता है, न कि अपनी पहल पर। नियम 5.32(सी) बनाए जाने से पहले भी, पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियमों के भाग एफ में एक नियम निम्नानुसार मौजूद था:—

> "परिशिष्ट बी में निर्दिष्ट आदेशों सहित अनुशासन, दंड और अपील से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर संशोधित 'पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1952' द्वारा शासित होंगे, बशर्ते कि प्रकृति लगाए जाने वाले दंडों के बारे में, प्राधिकरण को ऐसे दंड लगाने या ऐसे आदेश पारित करने का अधिकार है और अपीलीय प्राधिकारी नीचे दिए गए परिशिष्ट 'ए' और 'बी' में निर्दिष्ट होंगे।"

परिशिष्ट "बी" अन्य आदेशों से संबंधित है और इसमें केवल दो ऐसे आदेशों का उल्लेख किया गया है जिन्हें पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है एक आदेश सरकार का होता है जिसके विरुद्ध कोई अपीलीय प्राधिकार प्रदान नहीं किया जाता है। इन आदेशों की प्रकृति इस प्रकार वर्णित है- (ए) नियमों के तहत अधिकतम पेंशन को कम करना;

(बी) सेवा के किसी सदस्य की सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित आयु तक पहुंचने के अलावा उसकी नियुक्ति समाप्त करना।

यह स्पष्ट है कि नियमों के तहत अधिकतम पेंशन को कम करने का आदेश न्यायिक सेवा के सदस्य के कार्य की प्रकृति के संबंध में उच्च न्यायालय की सिफारिश पर ही किया जाएगा क्योंकि राज्य सरकार का उनकी सेवा के दौरान उन पर कोई नियंत्रण नहीं था। . इसी प्रकार, सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित आयु तक पहुंचने के अलावा सेवा के किसी सदस्य की नियुक्ति को समाप्त करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सिफारिश पर पारित किया जाएगा, जिसने पूरे समय अधिकारी के काम को देखा और देखा है। नियम 5.32(सी) के तहत शक्ति ऐसे आदेशों के संबंध में परिशिष्ट "बी" में राज्य सरकार को दी गई शक्ति के अनुरूप है और इसलिए, यह अनुमान लगाना वैध है कि राज्य सरकार अपनी पहल पर उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है लेकिन ऐसा केवल उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर करना होगा।

(12) श्री जे.एन. कौशल ने अपने तर्कों के दौरान हमारे विचार के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव तैयार किए:—

(1) अनुच्छेद 235 द्वारा परिकल्पित अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 234 और 309 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है।

(2) सजा देने के मामले में, कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की जानी है, लेकिन मौजूदा मामले में, चूंकि सजा देने का कोई सवाल ही शामिल नहीं है, इसलिए कार्यवाही को उच्च न्यायालय के स्तर पर शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा शुरू करने की आवश्यकता नहीं थी।

(3) वर्तमान मामला एक न्यायिक अधिकारी की सेवा के कार्यकाल से संबंधित है जो उसकी सेवा की शर्तों से संबंधित मामला है जिसके संबंध में याचिकाकर्ता हैउपरोक्त नियम 3.26 और 5.32 से बंधा हुआ।

(4) उच्च न्यायालय के अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार में यह माना जाता है कि अधिकारी सेवा में बना हुआ है, लेकिन उसे किस उम्र तक सेवा में बने रहना है, यह अनुशासन का मामला नहीं है।

(5) न्यायिक अधिकारी (सेवा) के किसी सदस्य को 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति देने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय की सलाह या सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं है।

(6) 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, एक सरकारी कर्मचारी के साथ-साथ न्यायिक सेवा के सदस्य को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि दोनों पक्षों को अपनी इच्छानुसार सेवा समाप्त करने का अधिकार मिलता है। यह कहना गलत है कि वह 58 वर्ष तक पद पर बने रहने के हकदार हैं।

(7) यह नियोक्ता पर निर्भर करता है कि वह यह निर्धारित करे कि किसी कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहना चाहिए या नहीं और इस मामले में नियोक्ता, सरकार होने के नाते, उसके पास याचिकाकर्ता की आयु प्राप्त करने से पहले उसकी सेवाओं को समाप्त करने का विशेष अधिकार है। 58 साल लेकिन उसके बाद वह 55 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। उच्च न्यायालय को इस मामले में कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह अन्य विभागों की तरह सरकार का ही एक विभाग है।

मैं पहले ही इन मामलों पर आम तौर पर विचार कर चुका हूं, लेकिन दोबारा दोहराने के लिए, यह कहना पर्याप्त है कि नियम 3.26 के तहत न्यायिक सेवा के सदस्य की सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु 58 वर्ष है, किसी भी कारण से इसमें कटौती करना नियंत्रण का विषय है। राज्य सरकार को छोड़कर पूरी तरह से उच्च न्यायालय में निहित है।सेवानिवृत्ति की आयु का निर्धारण निश्चित रूप से राज्य सरकार का अधिकार है लेकिन उस अवधि में कटौती के तहतसेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाला एक अन्य नियम अनुशासनात्मक नियंत्रण के साथ-साथ प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित मामला है। डिस्कमौलिक नियंत्रण का मतलब केवल पुरस्कार देने का क्षेत्राधिकार नहीं हैकदाचार के लिए सज़ा. इसमें यह निर्धारित करने की शक्ति भी शामिल है कि सेवा के किसी सदस्य का रिकॉर्ड संतुष्ट है या नहींकारखाना है या नहीं, ताकि वह सेवा में बने रहने का हकदार हो सकेसेवा नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक या समय से पहले अपनी सेवा समाप्त करने तक पूर्ण कार्यकाल। समय से पहले सेवानिवृत्ति. निःसंदेह, इसकी कोई राशि नहीं है।

सज़ा न ही इसे बर्खास्तगी या पद से हटाया जाना माना जा सकता हैसेवा लेकिन यह सेवा रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए और एक सचेत निर्णय लेना होगा कि वह अपनी सेवा का पूरा कार्यकाल पूरा करने के योग्य है या नहीं। समयपूर्व सेवानिवृत्ति को मृत लकड़ी को काटने का आदेश दिया जाता है जब यह महसूस किया जाता है कि सेवा का एक सदस्य, जिसने 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हैis सेवा में आगे बने रहने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं है। ऐसा फैसलाइसलिए, प्रशासनिक और दोनों के अभ्यास में बनाया गया हैअनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार. यह प्रशासनिक है क्योंकि जनहित में उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया है और यह अनुशासनात्मक हैक्योंकि यह निर्णय लिया गया है कि वह, किसी भी कारण से, सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु तक सेवा में बने रहने का हकदार नहीं है और यह सार्वजनिक हित में है कि उसे पहले ही बाहर कर दिया जाए। मेंइन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि जब सभी प्रकार के नियंत्रण, प्रशासनिक, न्यायिक और अनुशासनात्मक, पूरी तरह से निहित हैंउच्च न्यायालय, उस न्यायालय को न्यायिक सेवा के किसी सदस्य की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के मामले में कोई अधिकार नहीं हो सकता है। ऊंचान्यायालय को राज्य सरकार के किसी विभाग के बराबर नहीं माना जा सकता है ताकि वह यह दलील दे सके कि उसकी राय या सिफारिश प्री-मेच्योर के मामले में राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं है।राज्य की न्यायिक सेवा के एक सदस्य की सेवानिवृत्ति।

(13) असम राज्य बनाम रंगा महम्मद और अन्य में, (6) सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने माना कि मामलान्यायिक सेवा पर नियंत्रण के कारण जिला न्यायाधीश का स्थानांतरण उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था। वह थादेखा :—

"इसलिए, यह इस प्रकार है कि अनुच्छेद 233 के तहत, राज्यपाल हैकेवल नियुक्ति, पदोन्नति और से संबंधित हैजिला न्यायाधीशों के कैडर के लिए पोस्टिंग लेकिन के साथ नहींपहले से ही नियुक्त या पदोन्नत और कैडर में तैनात जिला न्यायाधीशों का स्थानांतरण। उत्तरार्द्ध स्पष्ट रूप से जिला न्यायाधीशों के नियंत्रण का मामला है जो उनमें निहित हैउच्च न्यायालय... । . . . .

निःसंदेह, यह वैसा ही है जैसा होना चाहिए। उच्च न्यायालय अदालतों के दैनिक नियंत्रण में है और व्यक्तियों की कार्य क्षमता और किसी विशेष की आवश्यकताओं को जानता हैस्टेशन या न्यायालय. तबादलों के लिए किसी मंत्री की अपेक्षा उच्च न्यायालय अधिक उपयुक्त है। हालांकि अच्छे अर्थ के लिए कोई भी मंत्री हो, उसे समग्र रूप से न्यायपालिका और व्यक्तिगत न्यायाधीशों के कामकाज का उतना गहन ज्ञान कभी नहीं हो सकता जितना उच्च न्यायालय का होता है। उसे जरूरजानकारी के लिए अपने विभाग पर निर्भर रहें। मुख्य न्यायाधीश और उनके सहयोगी इन मामलों को जानते हैं और व्यक्तिगत रूप से उनसे निपटते हैं। होने की संभावना कम हैसचिवों से प्रभावित जो स्वयं रुचि रखने पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छिपा सकते हैं। यह भी सर्वविदित है कि सभी स्टेशनों की जलवायु एक जैसी नहीं होतीऔर शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं। कुछ अच्छे स्टेशन हैं और कुछ उतने अच्छे नहीं हैं। कम हैअपने लिए लाभ चाहने वाले व्यक्ति के लिए सफलता की अधिक संभावना तब होती है जब मुख्य न्यायाधीश और उनके सहयोगी व्यक्तिगत जानकारी के साथ मामले को निपटाते हैं, न कि एक मंत्री के मामले में।द्वारा प्रदान किए गए नोट्स और जानकारी पर इसका निपटान करता हैसचिव। नियम का कारण और मामले का भाव मिलकर स्वीकृत संकीर्ण अर्थ का सुझाव देते हैंहमारे द्वारा। संविधान द्वारा प्रदर्शित नीति इसी दिशा में रही है जैसा कि इस न्यायालय के पहले के मामलों में बताया गया है। इस प्रकार उच्च न्यायालय अपने मामले में सही थानिष्कर्ष यह है कि इसके बाद राज्यपाल की शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैंउसने एक व्यक्ति को

जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त या पदोन्नत किया है और उसे कैडर में एक पद सौंपा है। इसके बाद पदधारियों का स्थानांतरण किसके नियंत्रण का मामला हैजिला न्यायालयों की अध्यक्षता करने वाले व्यक्तियों का नियंत्रण भी सम्मिलित हैजैसा कि उद्धृत मामले में बताया गया है।"

ये टिप्पणियाँ उस मामले पर पूरी ताकत से लागू होती हैं जहां प्रीलपरिपक्व सेवानिवृत्ति का आदेश दिया जाना है। ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा नहीं। राज्य सरकार को केवल उच्च न्यायालय की सिफारिश पर उस आशय का आदेश पारित करना है। दूसरे शब्दों में, निर्णय उच्च न्यायालय का होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित या लागू किया जाना है। की ऐसी सिफ़ारिशउच्च न्यायालय को राज्य सरकार पर बाध्यकारी माना जाना चाहिएउच्च न्यायालय के रूप में उल्लेख करें न कि राज्य सरकार राज्य न्यायपालिका का प्रमुख है और यह उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है अपने अधीनस्थ न्यायालयों और उनके पीठासीन अधिकारियों के आचरण और कामकाज पर नियंत्रण रखें। यह परिणाम स्वचालित रूप सेसंविधान के अनुच्छेद 235 के प्रावधानों का अनुसरण करता हैउच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखना। जो मैंने कहा था उसे यहां दोहराना अप्रासंगिक नहीं होगा।

श्री ईश्वर चंद्र अग्रवाल बनाम पंजाब राज्य, (7), उच्च न्यायालय और राज्य सरकार या राज्यपाल की संबंधित शक्तियों पर। उस फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत अपील जिमिन में खारिज कर दी गई थी लेकिन विशेष अनुमति द्वारा एक अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वह फैसला एक प्रोबेशनर से जुड़ा था. बागची के मामले (5) (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य की टिप्पणियों का उल्लेख करने के बाद, जो फैसले के पहले भाग में ऊपर निर्धारित की गई हैं, मैंकहा:—

"इन टिप्पणियों से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्यपाल के पास जिला न्यायाधीशों सहित न्यायिक सेवा के सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति है जिसमें सेवा से बर्खास्त करने या हटाने की शक्ति भी शामिल है, लेकिन इसके लिए प्रत्येक अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की शक्ति फ़्लाईग कोर्ट में निहित होती है। यह केवल उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है,जो यह निर्णय कर सकता है कि न्यायिक सेवा के किसी विशेष सदस्य का कार्य और आचरण संतोषजनक रहा है या नहींउसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान कारखाना और क्या वह सेवा में बनाए रखने के लिए उपयुक्त व्यक्ति

है। यदि उच्च न्यायालय का निर्णय न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध है, तो राज्यपाल या राज्य सरकार को उससे अलग होने या उसे खारिज करने की शक्ति नहीं दी गई है। राज्यपाल को ऐसी शक्ति केवल इसलिए देने से कि नियुक्ति, बर्खास्तगी या सेवा से हटाने की शक्ति उनमें निहित है, अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय के पूर्ण नियंत्रण में कमी आएगी और इस प्रकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता ख़राब हो जाएगी जिसकी मांग की गई है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करके प्राप्त किया जा सकता है। राज्यपाल को केवल उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएँ समाप्त करने का आदेश जारी करना होता है। वह अपील में नहीं बैठ सकते उच्च न्यायालय की सिफ़ारिश या निर्णय परइस मामले में। यदि राज्यपाल को कोई संदेह है तो वह अपने विचार उच्च न्यायालय को बता सकते हैं, लेकिन यदि उनके विचारों पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय अपनी पिछली सिफारिश दोहराता है तो राज्यपाल को उस सिफारिश से बाध्य महसूस करना चाहिए और एसी में आदेश जारी करना चाहिए।उसके साथ तालमेल. उच्च न्यायालय के आधिपत्य के आदेश को देखते हुए यह निष्कर्ष अपरिहार्य हैन्यायपालिका पर नियंत्रण का एकमात्र संरक्षक बना दिया गया जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि किसी अन्य प्राधिकारी को इसमें हिस्सेदारी या हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। समाप्तिअपने संयुक्त राष्ट्र के आधार पर एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाओं कीसेवा के लिए उपयुक्तता का तात्पर्य बर्खास्तगी या सेवा से निष्कासन नहीं है और यह राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं है। ऐसे में राज्यपाल को ही करना हैसंविधान का अनुपालन करने के लिए उचित रूप में उच्च न्यायालय की सिफारिश के संदर्भ में आदेश जारी करें।न्यायिक आवश्यकता और यह निर्धारित करने के लिए नहीं कि उच्च न्यायालय की सिफारिश उसके द्वारा विचार की गई सामग्री पर उचित है या नहीं।

इस मामले को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है. मान लीजिएमाननीय मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राय है कि परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान एक विशेष परिवीक्षाधीन व्यक्ति का आचरण और कार्य संतोषजनक नहीं था और इसलिए, वह सेवा में आगे बनाए रखने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है और जब कागजात वह संवैधानिक प्रावधानों के तहत अपनी सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी करने के लिए राज्यपाल के पास जाएंकिसी आदेश को पारित करने से

इंकार कर देता है या पुष्टि का आदेश पारित कर देता है।फिर उच्च न्यायालय के लिए दो पाठ्यक्रम खुले होंगे,अर्थात्, या तो राज्यपाल के फैसले को स्वीकार करना याअपनी सिफ़ारिश पर अड़े रहें. यदि वह फैसले को स्वीकार कर लेता है राज्यपाल के बारे में कोई और सवाल नहीं उठेगा लेकिन अगर वह अपनी ही सिफ़ारिश पर अड़ा रहता है तो वह उस अधिकारी को कहीं भी तैनात करने से इनकार कर सकता है। राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं हैpostउसे और जब तक कि उसे किसी विशेष स्थान पर न्यायिक अधिकारी के रूप में तैनात नहीं किया जाता है और आवश्यक चीजों के साथ निवेश नहीं किया जाता है शक्तियां, वह कोई भी न्यायिक कार्य नहीं कर सकेगा। परिणाम गतिरोध या गतिरोध होगा क्योंकि राज्यपाल को उच्च को बाध्य करने के लिए अधिकृत करने का कोई प्रावधान नहीं हैन्यायालय उस व्यक्ति को न्यायिक ओम्सर के रूप में पदस्थापित करता है, न ही वहां हैजब तक उस गतिरोध या गतिरोध को हल करने का कोई प्रावधान न हो

इसे स्वीकार किया जाता है, जैसा कि बागची के मामले (5) (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य द्वारा माना गया है, कि नियंत्रण का मामला, निर्णायक आवाज उच्च न्यायालय के पास है, न कि राज्यपाल के पास। यह इसलिए है , उ च्च न्यायालय की नियंत्रण शक्ति में निहित है कि परिवीक्षा के मामले में उ स की राय, सिफ़ारिश या निर्णय को राज्यपाल द्वारा बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया जाना चाहिए। यह निष्कर्ष निर्विवाद रूप से संविधान के अनुच्छेद 235 के प्रावधानों का अनुसरण करता है, जैसा कि व्याख्या की गई है

बागची के मामले में उनके आधिपत्य द्वारा (5), लेकिन भले ही यह बहुत स्पष्ट न हो, न्यायपालिका से संबंधित मामलों में राज्यपाल और उच्च न्यायालय के बीच ऐसी परंपरा स्थापित करना आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार के तीन अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका औरन्यायपालिका, और राज्यपाल राज्य का प्रमुख हैतीनों पंख. कार्यपालिका से संबंधित मामलों मेंसरकार के फैसलों को वह पलट नहीं सकतामंत्रिपरिषद और विधानमंडल के मामले में. वह विधायिका की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। यदि विधानमंडल कोई विधेयक पारित करता है,

तो उसे राज्यपाल की सहमति के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत करना होता है। उसे एक बार अपनी सहमति देने से इनकार करने और अपने संदेश के साथ विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेजने की अनुमति है और यदि विधानमंडल उस विधेयक को फिर से पारित करने पर अड़ा रहता है, तो उसके बाद राज्यपाल के पास उसकी सहमति से इनकार करने की कोई शक्ति नहीं है। इस आशय का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 200 में किया गया है। इसी प्रकार, न्यायपालिका के संबंध में, जहां उच्च न्यायालय के साथ परामर्श प्रदान किया जाता है या जहांराज्यपाल को उच्च की अनुशंसा पर कार्य करना होता हैन्यायालय, वह फैसले को पलटने की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकता।उच्च न्यायालय के निर्णय पर उसे उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए और गतिरोध या गतिरोध से बचने के लिए उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। निःसंदेह, उसे मामले में उच्च न्यायालय को अपनी राय देने का अधिकार है, लेकिन यदि उसकी राय पर विचार करने के बाद भी उच्च न्यायालय की यह राय है कि कोई विशेष न्यायिक अधिकारी सेवा में बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो राज्यपाल को सेवा में बनाये रखने के लिए हाई कोर्ट पर अपनी इच्छा थोपने की जिद नहीं करनी चाहिए. उसे केवल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करना चाहिएन्यायपालिका का मामला, जैसा कि वह सरकार के अन्य दो अंगों के संबंध में करता है, क्योंकि राज्य न्यायपालिका का वास्तविक प्रमुख उच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 235 और राज्यपाल और उच्च न्यायालय की संबंधित शक्तियों की इस व्याख्या से न्याय प्रशासन सुचारु हो जाएगा और गतिरोध या गतिरोध उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं होगी। यदि ऐसी सर्वोपरि शक्ति राज्यपाल को नहीं दी जा सकती तो निश्चित रूप से यह राज्य सरकार को भी नहीं दी जा सकती। राज्यपाल के संबंध में ऊपर जो कुछ भी कहा गया है वह राज्य सरकार पर पूरी ताकत से लागू होता है।

(14)यदि उच्च न्यायालय की अनुशंसा को राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं माना गया तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। अगरयह माना जाता है कि न्यायिक सेवा के एक सदस्य को सेवानिवृत्ति की आयु, यानी 58 वर्ष तक सेवा का पूरा कार्यकाल चलाने की अनुमति देने के लिए उच्च न्यायालय की सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, यह इसका पालन करेगा न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त करने की उच्च न्यायालय की सिफारिश भी बाध्यकारी नहीं होगी। नतीजा यह होगा कि राज्य वंचित हो जायेगाएक मामले में न्यायिक सेवा के एक कुशल सदस्य की कई वर्षों तक सेवाएँ, जबकि दूसरे मामले में न्यायिक सेवा

के एक अवांछित सदस्य को उच्च की सलाह या सिफारिश के बावजूद सरकार द्वारा राज्य पर थोप दिया जाएगा। इसके विपरीत न्यायालय. इनमें से किसी भी मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय की सिफ़ारिश को स्वीकार न करना जनहित में होगा। पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकारसंविधान निर्माताओं द्वारा उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायपालिकास्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च न्यायालय का निर्णयअपने अधिकार क्षेत्र के भीतर के मामलों पर राज्य पर बाध्यकारी होगासरकार और राज्य सरकार इसे ईमानदारी से पूरा करेगी।

(15)श्री जे.एन. कौशल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत, उच्च न्यायालय किसी से निपट नहीं सकताकिसी भी कानून के तहत निर्धारित उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार न्यायिक सेवा का सदस्यउनकी सेवा की शर्तें और इस कारण से, उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता को न्यायिक सेवा से समय से पहले सेवानिवृत्त करने की राज्य सरकार की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हैनियम 5.32(सी) जो उनकी सेवा की शर्त है। विद्वान वकील के संबंध में यह तर्क मेरे लिए समझ से परे है। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता के साथ उसकी सेवा शर्तों के अनुसार ही व्यवहार कर रहा है।"Theसेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में याचिकाकर्ता की सेवा की शर्त यह है कि वह 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बना रहेगा और उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से सिफारिश की है कि उसे उस तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।आयु। यह उच्च न्यायालय नहीं बल्कि राज्य सरकार है जिसने उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कम करने का आदेश पारित किया है। मेरे में[4]राय, उक्त नियम 5.32 (सी) के तहत राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती। इस तरीके से जो संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय की नियंत्रण की शक्ति का उल्लंघन करता है। के अंतर्गत शक्ति नियम 5.32(सी) का प्रयोग राज्य सरकार केवल उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर ही कर सकती है, अपनी पहल पर नहीं। यह देखना उचित होगा कि बागची के मामले (5) में पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से यह दलील दी गई थी कि सरकार द्वारा सेवा नियमों के अनुसार विभागीय जांच की गई थी और सजा भी उसी के अनुसार दी गई थी। यह याचिका किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के संबंध में कायम रहती, लेकिन न्यायिक सेवा के सदस्य के मामले में प्रावधानों के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया।संविधान का अनुच्छेद 235 पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता हैउच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायपालिका। अनुच्छेद 235 के संदर्भ में यह माना गया था कि राज्य सरकार द्वारा की गई जांच अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना थी क्योंकि यह उच्च न्यायालय द्वारा नहीं की गई थी, जो अकेले ही जांच

करने के लिए सक्षम प्राधिकारी थी। तर्क की समानता पर, श्री जे.एन. कौशल द्वारा दिए गए तर्क को निरस्त किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त करने का आदेश उपरोक्त नियम 5.32 (सी) के अनुसार पारित किया गया है और उच्च न्यायालय को इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। बिना पदार्थ के.

(16)हरियाणा राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ने एन. श्रीनिवासन, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ओयूआईएल.ऑन और अन्य बनाम केरल राज्य, (8) मामले में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर बहुत भरोसा किया है। उनके तर्क के समर्थन में लेकिन मेरी राय है कि उस मामले से उन्हें कोई मदद नहीं मिली* उस मामले में तथ्य यह थे कि सेवा नियमों द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु मूल रूप से 55 वर्ष थी जिसे बढ़ाकर 58 वर्ष कर दिया गया था और उसके बाद फिर से कम कर दिया गया था 55 वर्ष तक. तीन विद्वान न्यायाधीशों में से दो ने माना कि सेवानिवृत्ति की आयु तय करने का अधिकार सरकार में निहित है और इसके लिए उच्च न्यायालय से किसी परामर्श की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह उस समय हो जब इसे बढ़ाया गया था या उस समय जब इसे कम किया गया था, जबकि तीसरे विद्वान न्यायाधीश ने माना कि जहां तक न्यायिक सेवा के सदस्यों का संबंध है, यदि सेवानिवृत्ति की पहले से निर्धारित आयु में कोई बदलाव करना है तो उच्च न्यायालय से परामर्श आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेवानिवृत्ति की आयु का निर्धारण नियोक्ता के प्रांत के भीतर होता है, यानी राज्य सरकार जिसके पास इसे बढ़ाने या घटाने की शक्ति भी होती है। उस स्थिति में, सेवानिवृत्ति की आयु जो भी होनिर्धारित नियम सेवानिवृत्त होने के अलावा सेवा के सभी सदस्यों पर लागू होंगे

नियमों के तहत किसी भी कारण से उस आयु को प्राप्त करने से पहले न्यायिक सेवा के सदस्यों के संबंध में उच्च न्यायालय के प्रांत के अंतर्गत आता है, न कि राज्य सरकार के, जैसा कि पहले ही ऊपर माना जा चुका है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि न्यायिक सेवा के सदस्यों में से केवल उच्च न्यायालय को ही आयु सीमा कम करने का अधिकार सौंपा जा सकता है।superannuation किसी विशेष मामले में उनके कार्य और आचरण के गहन ज्ञान के कारण, जो उनकी सेवा की पूरी अवधि के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा देखा गया है। राज्य सरकार को यह शक्ति देने से संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण

की एकमात्र शक्ति समाप्त हो जाएगी।

(17) हरियाणा राज्य द्वारा दायर लिखित बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। मैंने उपरोक्त तथ्यों को उच्च न्यायालय के 22 जनवरी 1971 के पत्र से शुरू करते हुए प्रस्तुत किया है। उच्च न्यायालय ने केवल याचिकाकर्ता को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से हटाने की सिफारिश की थी, जिसे वह एक पद से हटा रहा था। , वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उनके मूल पद पर और सिफारिश की गई कि उन्हें उस पद पर 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बनाए रखा जाना चाहिए। राज्य सरकार के संदर्भ पर, उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में याचिकाकर्ता के काम पर छह महीने की अवधि तक नजर रखी जाएगी, जिसके बाद आवश्यक सिफारिश की जाएगी कि उसे सेवा में बनाए रखा जाए या नहीं। उच्च न्यायालय के इस फैसले को नजरअंदाज करते हुए राज्य सरकार ने विवादित आदेश पारित कर दिया। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह नहीं दर्शाया गया है कि किस नियम के तहत राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के साथ परामर्श आवश्यक था यदि नियम 5.32 (सी) के तहत, राज्य सरकार को आक्षेपित जारी करके याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार था आदेश देना। हालाँकि, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि, जैसा कि चंद्रमौलेश्वर प्रसाद बनाम पटना उच्च न्यायालय और अन्य में उनके आधिपत्य द्वारा माना गया है, (9), परामर्श का मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। . यह संविधान के अनुच्छेद 233(1) के तहत एक मामला था जिसमें "परामर्श से" शब्द आते हैं और इसलिए यह प्रासंगिक नहीं है क्योंकि इसका अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय में निहित पूर्ण नियंत्रण की चिंता नहीं है।

संविधान। इस कारण से, एचजीएच के साथ परामर्श मात्र

मौजूदा मामले में कोर्ट पर्याप्त नहीं था. राज्य सरकार. वास्तव में, उसके पास आक्षेपित आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय की कोई सिफारिश नहीं की गई थी।.

(18)ऊपर दिए गए कारणों से, मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति को राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त किए जाने के बाद, राज्य सरकार कार्यात्मक अधिकारी बन जाती है और संपूर्ण नियंत्रण-प्रशासनिक, न्यायिक और अनुशासनात्मक-उच्च न्यायालय में निहित हो जाती है और जब तक वह लागू रहती है सेवा में रहता है,

उसकी सेवा के संबंध में सभी आदेश उसे मान्य होते हैंके संबंध में केवल उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर या तो उच्च न्यायालय द्वारा या राज्य सरकार द्वारा पारित किया जाना हैजिन मामलों पर राज्य सरकार को दिया गया हैसंविधान के प्रावधानों या शर्तों के तहत क्षेत्राधिकार:न्यायिक सेवा को नियंत्रित करने वाली सेवा का। राज्य सरकार अपनी पहल पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकती. वर्तमान मामले में, आक्षेपित आदेश उच्च न्यायालय की सिफारिश या पहल पर पारित नहीं किया गया है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सिफारिश के विरुद्ध अपनी पहल पर पारित किया गया है। इसलिए, नीचे गिराए जाने योग्य है।

(19)हरियाणा राज्य द्वारा दायर लिखित बयान में, आक्षेपित आदेश को इस आधार पर उचित ठहराया गया है कि यह मुख्य सचिव के दिनांक 19/21 मई, 1964 के पत्र में निहित निर्देशों के अनुसार पारित किया गया था, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, और इसलिए, वैध था। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इसी पत्र में कहा गया है:—

> "इस बात पर विचार करते समय कि क्या कोई अधिकारी/कर्मचारी औसत मानक से नीचे आता है, कभी-कभी यह सवाल उठ सकता है कि क्या उसका मूल्यांकन उसके मूल ग्रेड की आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए या उस ग्रेड के आधार पर किया जाना चाहिए जिसमें वह स्थानापन्न रहा है। ऐसा नहीं है उदाहरण के लिए, एक सरकारी कर्मचारी के लिए असामान्य, जिसने अपने मूल ग्रेड में अच्छी रिपोर्ट अर्जित की है, जो कि अपमानजनक ग्रेड में अपर्याप्त साबित हो सकता है। आमतौर पर, 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने के लिए उसकी फिटनेस का आकलन उसके मूल ग्रेड के संबंध में किया जा सकता है। , और यदि वह उस ग्रेड के लिए पर्याप्त अच्छा है, लेकिन उस उच्च ग्रेड के लिए नहीं, जिसमें वह स्थानापन्न रहा है, तो उसे उसके मूल ग्रेड में वापस किया जा सकता है, लेकिन सेवा में बनाए रखा जा सकता है।

ये कार्यकारी निर्देश मार्गदर्शन के लिए हैंडी.विभागीय प्रमुख और सरकारी कर्मचारियों के कहने पर न्यायसंगत नहीं। इसलिए, याचिकाकर्ता को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता कि ऊपर दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया क्योंकि नियम के तहत सरकार के पास बिना कोई कारण बताए किसी सरकारी कर्मचारी

को समय से पहले सेवानिवृत्त करने की पूर्ण शक्ति है। मैंने ऊपर माना है कि राज्य सरकार के पास इस मामले में आदेश जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था petitioner जब तक कि उच्च न्यायालय ने नहीं बनाया थाउस संबंध में एक सिफ़ारिश और, इसलिए, आदेश ख़राब है। यदि आदेश वैध रूप से दिया गया था, तो इसे याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता था। अत: याचिकाकर्ता का तर्क निरस्त किया जाता है।

(20)याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सरकार ने यह आदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री बंसी लाल के कहने पर दुर्भावना से पारित किया था, जो याचिकाकर्ता के प्रति द्वेष रखते थे। उस आरोप का आधार यह है कि 14 मार्च 1968 को पुलिस थाना लोहारू में धारा 330/331 भारतीय प्रति संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था;मैंप्रथम रत्ती राम, नरिंदर सिंह लांबा और अन्य, नरिंदरसिंह लांबा निश्चित रूप से श्री बंसी लाल के पिता की बहन के बेटे हैं। अभियुक्तों को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया, जिन्होंने उन्हें 15 जून, 1970 को सत्र न्यायालय को सौंप दिया।petitioner अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार के रूप में, और यह 19 अगस्त, 1970 को उनके समक्ष सुनवाई के लिए आया। उस दिन, लोक अभियोजक द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें अभियोजन से हटने की अनुमति मांगी गई थी।आरमियाट आवेदन-याचिकाकर्ता द्वारा उसी दिन खारिज कर दिया गया था। लोक अभियोजक ने जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर वह आवेदन दाखिल किया था. 18 अगस्त, 1970 को जिला मजिस्ट्रेट, हिसार द्वारा लोक अभियोजक को जारी पत्र की एक प्रति, प्रतिवादी I के लिखित बयान के साथ अनुलग्नक आर -1 के रूप में दायर की गई है और इस प्रकार है:—

"विषय: - पुलिस स्टेशन, लोहारू की धारा 330/342 1.पी.सी. के तहत मामले एफ.आई.आर. नंबर 20, दिनांक 14.3.1968 के अभियोजन से वापसी।

ज्ञापन •

इस मामले में अभियुक्त सुलतान सिंह एवं मुरली राम ने मुझे आवेदन देकर अनुरोध किया कि लोक अभियोजक को इस मामले में अभियोजन से हट जाना चाहिए. मेरे पास से रिपोर्टें हैं

पुलिस अधीक्षक और जिला अटॉर्नी। पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुछ पी.डब्ल्यू. इच्छुक व्यक्ति हैं और मामला पर्याप्त मजबूत नहीं है। जिला अटॉर्नी ने एक विस्तृत रिपोर्ट दी है, जिसमें पी.डब्लू. द्वारा दिए गए साक्ष्यों में विसंगतियां सामने आई हैं। कमिटिंग मजिस्ट्रेट की अदालत में. कई ओर से मेरे कानों तक यह बात पहुंची है कि श्री हीरा नन्द आर्य, भूतपूर्व। एम.एल.ए. ले रहा है**un**-इस मामले में अभियुक्तों की सजा सुनिश्चित करने के प्रयास में उचित और व्यक्तिगत हित। उन्होंने इस मामले में स्थानीय राजनीति को शामिल कर लिया है.

2. मामला पिछले तीन वर्षों से खिंच रहा है और आरोपी पहले ही काफी मानसिक पीड़ा और कठिनाइयों से गुजर चुके हैं। यदि पुलिस बल के एक भी निर्दोष सदस्य को दंडित किया गया तो इसका पुलिस बल पर खतरनाक रूप से मनोबल गिराने वाला प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान समय में पुलिस बल का मनोबल बनाये रखने की आवश्यकता है, ताकि वे समाज में बढ़ रहे बुरे तत्वों से पर्याप्त रूप से निपट सकें।

3. इसलिए, आप इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने से पीछे हट सकते हैं।"

श्री बंसी लाल ने अपने हलफनामे में इस बात से इनकार किया है कि उनके कहने पर जिला मजिस्ट्रेट ने लोक अभियोजक को मामले की अभियोजन से हटने का निर्देश दिया था। राज्य या हरियाणा द्वारा दायर रिटर्न में, यह उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री ने नहीं बल्कि जिला मजिस्ट्रेट ने लोक अभियोजक को मामले से हटने का निर्देश दिया था। जिला मजिस्ट्रेट को याचिका में प्रतिवादी नहीं बनाया गया है और न ही याचिकाकर्ता द्वारा इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और हरियाणा राज्य द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करने वाली कोई प्रतिकृति दायर की गई है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ आरोपी पुलिस बल के सदस्य थे, जिन्होंने अपने खिलाफ मामला वापस लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन किया था। जिस दिन एफ.आई.आर. दर्ज किया गया था, श्री बंसी लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। दो महीने से कुछ अधिक समय बाद वह उस राज्य के मुख्यमंत्री बने और मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रतिबद्धता की कार्यवाही उचित समय पर चली, जिसने 15 जून, 1970 को प्रतिबद्धता आदेश पारित किया। प्रभाव वह ऐसा तब कर सकता था जब मामला मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित था। याचिकाकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त करने का विवादित

आदेश 20 अगस्त, 1971 को उच्च न्यायालय के साथ पत्राचार के बाद जारी किया गया था।

छह माह से अधिक की अवधि. वह कारण जिसने प्रेरित कियाप्रतिवादी 1 द्वारा दायर लिखित बयान के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश 19/21 मई, 1964 को जारी किए गए निर्देशों में से एक पर आधारित था, और यह महसूस किया गया कि अतिरिक्त के प्रत्यावर्तन के कारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश से लेकर वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश/प्रमुख तकन्यायिक मजिस्ट्रेट, याचिकाकर्ता के मूल पद पर अपने काम में मन लगाने की संभावना नहीं थी। वह कारण अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता। राज्य सरकार और श्री बंसी लाल द्वारा दुर्भावना के आरोप के स्पष्ट खंडन के मद्देनजर, मुझे इस रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जिससे यह माना जा सके कि विवादित आदेशप्रतिवादी 3 के कहने पर दुर्भावना से पारित किया गया था। आरोपों याचिकाकर्ता द्वारा इसके समर्थन में रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री रखे बिना लापरवाही से गलत बयानी की गई है। याचिकाकर्ता ने यह आरोप उस मामले में लोक अभियोजक के आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करने के आधार पर लगाया है जिसमें मुख्यमंत्री का चचेरा भाई आरोपियों में से एक था।

(21) ऊपर दिए गए कारणों से यह याचिका स्वीकार की जाती है और20 अगस्त 1971 का आक्षेपित आदेश, जिसमें याचिकाकर्ता को तीन महीने की समाप्ति के बाद सेवा से सेवानिवृत्त करने का आदेश दिया गया था, को रद्द किया जाता है। उत्तरदाताओं 1 और 3 के खिलाफ लगाए गए दुर्भावनापूर्ण आरोपों के कारण याचिकाकर्ता किसी भी लागत का हकदार नहीं है। इसलिए, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

एच. आर. सोढ़ी, जे.

(22) मुझे अपने भाई बी.आर. तुली, जे. के फैसले को पढ़ने का सौभाग्य मिला है और उनकी कृपा से मैं प्रतिवादी के खिलाफ कथित दुर्भावना के बारे में निकले निष्कर्ष के अलावा अपने आप को उनके विचार साझा करने के लिए राजी नहीं

कर पाया। 3. तथ्यों को उनके सभी विवरणों में दोहराने की आवश्यकता नहीं हैलेकिन उनमें से कुछ को बताने की आवश्यकता है।

(23) याचिकाकर्ता हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) का सदस्य है और उसने 24 फरवरी, 1971 को 55 वर्ष की आयु प्राप्त की। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सिफारिश की कि याचिकाकर्ता को 58 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहने की अनुमति दी जाए। सेवानिवृत्ति की आयु नियम 3.26 में दी गई हैपंजाब सिविल सेवा नियम, जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है और इसके बाद इसे नियम कहा जाएगा। petitioner उन्हें पहले (1972) के कार्यवाहक जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।

जिस स्थान पर उन्होंने 1 अप्रैल, 1970 को कार्यभार संभाला था। उच्च न्यायालय ने पाया कि वह इस पद पर बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं थे क्योंकि उनका कार्यभार 1 अप्रैल, 1970 को था।नागरिक पक्ष असंतोषजनक था। राज्य सरकार को पत्र लिखकर अनुशंसा की गयी थी. दिनांक 22 जनवरी, 1971 को आदेश दिया गया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में याचिकाकर्ता के असंतोषजनक कार्य को देखते हुए, उन्हें वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उनके मूल पद पर वापस भेज दिया जाए, लेकिन उन्हें आयु तक इस पद पर बने रहने की अनुमति दी जाए। 58 साल की उम्र में, राज्य सरकार याचिकाकर्ता के प्रत्यावर्तन पर सहमत हुई लेकिन वापस लिख दीयह कहते हुए कि उच्च न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता को 55 वर्ष की आयु के बाद भी सेवा में रखा जाना चाहिए।6 अप्रैल, 1971 को उच्च न्यायालय ने फिर से राज्य सरकार को निम्नलिखित शब्दों में संबोधित किया।—

> "याचिकाकर्ता के वरिष्ठ उप-न्यायाधीश/न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में 6 महीने तक काम करने के बाद उसके काम की समीक्षा की जाएगी और यदि वह इच्छुक पाया जाता है, तो राज्य सरकार को उसे सेवानिवृत्त करने की सिफारिश की जाएगी। उसे अपेक्षित नोटिस।"

राज्य सरकार ने इस सिफ़ारिश को स्वीकार नहीं किया और उच्च न्यायालय का ध्यान पुनियाब सरकार के पत्र संख्या 4776-3जीएस-(1) 64/15823, दिनांक 19/21 मई, 1964 की ओर आकर्षित किया, जिसका उद्धरण इस प्रकार है:—

> "जब कोई सरकारी कर्मचारी लंबे समय से उच्च ग्रेड में कार्य कर रहा हो तो कठिनाइयाँ हो सकती हैं और ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वह अपना दिल उसमें लगाएगा।प्रत्यावर्तन के बाद कार्य करें. हालाँकि, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर कोई कठोर नियम नहीं बनाए जा सकते हैं और प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करना होगा।"

सरकार का विचार था कि याचिकाकर्ता को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से हटाकर वरिष्ठ उप-न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया जाए। याचिकाकर्तापूरे मन से काम करने की संभावना नहीं थी और इसलिए, उन्हें तीन महीने का नोटिस देने के बाद सेवानिवृत्त करना सार्वजनिक हित में होगा, जैसा कि पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 5.32 (सी) में परिकल्पना की गई है। सरकार और उच्च न्यायालय के बीच पत्राचार हुआ लेकिन उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि ऊपर उल्लिखित निर्देश के मद्देनजर याचिकाकर्ता को बनाए रखना सार्वजनिक हित में नहीं था। दावा किया गया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ही अंतिम निर्णय लेने में सक्षम है

परामर्श किया। परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से याचिकाकर्ता को नियम 5.32 (सी) के तहत सेवानिवृत्ति का दिनांक 20 अगस्त, 1971 को नोटिस दिया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को तीन महीने की समाप्ति पर सेवा से सेवानिवृत्त होने का निर्देश दिया गया।fromइस नोटिस की प्राप्ति की तारीख. इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:—

> "मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि हरियाणा के राज्यपाल ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श से निर्णय लिया है कि आपको नियम 5.32 (सी) से जुड़े नोट के प्रावधानों के अनुसार सेवा से सेवानिवृत्त किया जाएगा।दीउन्होंने पंजाब सी.एस.आर. खंड II, जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है।
>
> (2) इसलिए, आपको सूचित किया जाता है कि पूर्व-पमैंइस संचार की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर, आप हरियाणा सरकार के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।"

(24)इसके बाद नेटिशनकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर कीएसजिसमें उन्होंने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के किसी भी नोटिस की तामील करने के राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है, यह दलील दी गई है कि संविधान के तहत ऐसा नियंत्रण केवल उच्च न्यायालय में निहित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए गए हैं। ए-प्रतिवादी 3. यह आरोप लगाया गया है कि जब याचिकाकर्ता हिसार में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में तैनात था, तो एक आपराधिक मुकदमा के तहत मामला दर्ज किया गया था। उनके न्यायालय में 19 अगस्त को धारा 330/342 भारतीय दंड विधान के तहत चोरी के एक मामले की सुनवाई शुरू होनी थी। 1970, श्री नरिंदर सिंह लांबा और अन्य के खिलाफ, जब लोक अभियोजक, श्री एस.एन. गोयल ने एक आवेदन दायर कियादंड प्रक्रिया संहिता की धारा 494 के तहत अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन वापस लेने का आदेश। याचिकाकर्ता ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और मुकदमा जारी रखने का आदेश दिया। उनके आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उस मामले के आरोपियों में से एक श्री नरिंदर सिंह लांबा, मुख्यमंत्री के पिता की बहन का बेटा है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि केज तब पंजीकृत किया गया था जब श्री बंसी लाल मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन निकासी का आवेदन संभवतः उनके कहने पर किया गया था और याचिकाकर्ता की ओर से निकासी की अनुमति देने से इनकार करने से उन्हें झुंझलाहट हुई। दावा यह है कि याचिकाकर्ता ने यह सब अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ईमानदारी से किया और मामले को वापस लेने की अनुमति नहीं दे सकता था जब कमिटिंग मजिस्ट्रेट ने सात गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए थे।sup- .केस करने से पहले आरोप का उत्तर.

(25)जब रिट याचिका मेरे और मेरे भाई महाजन जे की खंडपीठ के समक्ष आई, तो हमारा विचार था कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में शक्ति के प्रयोग के संबंध में क्षेत्राधिकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यायिक अधिकारी, 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, इसमें शामिल थे, यह एक बड़ी बेंच द्वारा निपटाए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला था। इन परिस्थितियों में मामला पूर्ण पीठ के समक्ष है।

(26)नेशनकर्ता ने स्वयं मामले की पैरवी की, उच्च न्यायालय में श्री एच.एल. सिब्बल, महाधिवक्ता, पंजाब और श्री.J'सीएल. कौशल हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित हुए।

(27)मुझे शुरू में ही कहना होगा. कि ये अफसोस की बात हैtunate याचिकाकर्ता को 55 वर्ष की आयु के बाद सेवा में बनाए रखने की वांछनीयता के संबंध में उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के बीच टकराव का खुलासा करने वाला मुद्दा उठाया गया है। जैसा कि मेरे लॉर्ड हेगड़े, जे. ने उड़ीसा राज्य बनाम सूडानसु शेखर माइक्र और अन्य, (10) में कहा था, हमारा संविधान अपेक्षा करता है कि "उन्हें सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से कार्य करना चाहिए। यदि वे उस पीयू के साथ कार्य करते हैं जैसा कि उन्हें करना चाहिए, वैसा ही दृष्टिकोण रखें, फिर संघर्ष के लिए कोई जगह नहीं है और एक दूसरे पर हावी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। राज्य के प्रत्येक अंग की अपनी विशेष भूमिका होती है। लेकिन हमारा संविधान पूर्वpectsउन सभी को सेवा की भावना से सद्भावना के साथ काम करना चाहिए। इसलिए, एक को दूसरे के अधिकारों और अधिकारों का अतिक्रमण करने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। यह उच्च के बीच आपसी सद्भावना और समझ का सार है। न्यायालय और सरकार का मानना है कि प्रत्येक एक दूसरे को प्रामाणिक मानता है जब तक कि इसके विपरीत कुछ भी संदेह की छाया से परे न हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारी तंत्र का विशाल संगठन, जिसमें राज्य के तीनों अंग शामिल हैं, अर्थात। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सार्वजनिक सेवा की इच्छा से प्रेरित उन सभी की ओर से अच्छे विश्वास की धारणा पर बनाई गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निस्संदेह, सर्वोच्च महत्व की है और न्यायपालिका वी स्तर पर है ऐसी स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए जहां उसे लाभ के लिए कार्यकारी प्राधिकारी से बहस करनी पड़े। यह सच है कि न्यायिक स्वतंत्रताdenceऔर लोकतंत्र त्वचा और कंकाल की तरह एक दूसरे के करीब हैं। ऐसी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना आवश्यक हैराज्य को उस राज्य के उच्च न्यायालय में निहित होना चाहिए और यह संविधान के अनुच्छेद 2.35 में प्रदान किया गया है। ऐसी स्वतंत्रता के महत्व पर, अगर मैं पूरे सम्मान के साथ ऐसा कहूं तो, पश्चिम राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है।

पेंड्रा नाथ बागची, (5). इसलिए, यह सबसे वांछनीय है कि उच्च न्यायालय की सिफ़ारिशों को, चाहे संवैधानिक स्थिति कुछ भी हो, आम तौर पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए और राज्य सरकार को ऐसी स्थिति पैदा न करने की अच्छी सलाह दी जाएगी।sultinएक टकराव में. जो भी हो, हम एक ही समय में उस लिखित संविधान को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जिसने विभिन्न विंगों को उनके

स्वतंत्र कार्य सौंपे हैं, और उनमें से प्रत्येक को उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अपनी शक्तियों का उपयोग करना होगा। संविधान द्वारा. पूरा दृष्टिकोण एक यथार्थवादी के रूप में बनाया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय या कार्यकारी सरकार की ओर से दूसरे पर वर्चस्व रखने का प्रयास, जब कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं है, तो इसकी अधिक सराहना नहीं की जा सकती है। VVउच्च न्यायालय द्वारा अपने अधिकारियों पर नियंत्रण की सीमा चाहे जो भी हो या प्रयोग किया जाना वांछनीय हो, कड़वी वास्तविकता से कोई बच नहीं सकता है कि चाहे वह न्यायिक अधिकारी हो या कोई अन्य सरकारी कर्मचारी। वह अपनी इच्छानुसार राज्य में अपना नागरिक पद धारण करता हैएराज्यपाल. यह आनंद सिद्धांत जो मालिक और नौकर के सामान्य कानून पर आधारित है, संविधान के अनुच्छेद 31() में अपरिहार्य परिणाम के साथ कहा गया है कि किसी भी नौकर को राज्यपाल पर नहीं थोपा जा सकता है जो अकेले नियोक्ता है। यदि राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को किसी विशेष सेवा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी बनाया गया है, तो वह प्राधिकारी केवल एक प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करता है। उच्च न्यायालय और राज्य के बीच सुचारू समन्वय के लिए। कुछ संवैधानिक सम्मेलन या समझ आवश्यक हैं और उनमें से एक यह है कि राज्यपाल न्यायिक सेवा के संबंध में संविधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, भले ही उनके पास न्यायिक अधिकारी को बर्खास्त करने, हटाने या रैंक में कमी करने का अंतिम अधिकार हो। हाई कोर्ट की सलाह माननी होगी. हालाँकि, जब यह सवाल उठता है कि क्या उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के पास कुछ मामलों के संबंध में शक्तियाँ हैं, तो संविधान की व्याख्या इस तरीके से की जानी चाहिए ताकि इस्तेमाल किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ पर हिंसा किए बिना अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। उसमें या उसके नीचे छिपा हुआ इरादा। कानून के न्यायालय के रूप में हमारा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून क्या है और क्या नहीं होना चाहिए। कन्वेंशन चाहे कितने भी प्रशंसनीय क्यों न हों, उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है, किसी विशेष मामले में जो कुछ भी अधिक उपयुक्त या प्रशासनिक रूप से समीचीन माना जा सकता है, उसके नुकसान से कोई बच नहीं सकता है।यह हैन्यायिक स्थिति यह है कि किसी न्यायिक अधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने या हटाने के मामले में शक्ति राज्यपाल में निहित है। "राज्यपाल" शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 234 में किया गया है जो कि संबंधित हैअधीनस्थ न्यायपालिका का अर्थ राज्य सरकार है, न कि राज्यपाल, जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में है। किसी कर्मचारी को जिद करने का कोई अधिकार नहीं है

सेवा में बने रहने के लिए और गलत तरीके से बर्खास्तगी या उसकी सेवाओं की समाप्ति या सेवा के अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के लिए उपाय आम तौर पर सिविल कोर्ट में क्षति के लिए एक कार्रवाई है। एक सरकारी कर्मचारी को यदि सेवा में बने रहने के संबंध में अपने नियोक्ता, अर्थात् राज्य सरकार के दायित्वों को लागू करने का अधिकार मिलता है, तो यह किसी क़ानून या वैधानिक नियमों के तहत उसे दी गई वैधानिक स्थिति के आधार पर होता है, जिसका उल्लंघन होता है। अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और एक सिविल न्यायालय कभी-कभी यह घोषणा करने के लिए हस्तक्षेप करेगा कि उसकी सेवाओं को समाप्त करने वाला आदेश कानून की दृष्टि से शून्य और अप्रभावी है और वह अभी भी सेवा में बना हुआ है। संक्षेप में यह एक सरकारी कर्मचारी की स्थिति है, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी भी शामिल है, जो नियोक्ता यानी राज्य सरकार के साथ उसके कानूनी संबंध के संबंध में है।

(28) पक्षों के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्कों पर विचार करने से पहले। मैं यहां संविधान के प्रासंगिक नियमों और उन प्रावधानों को पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक समझता हूं, जिन पर पूरा विवाद टिका है:

पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग I।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति

3.26 (ए) इस नियम के अन्य खंडों में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी के अलावा किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख वह तारीख है जिस दिन वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। वह पुनः नहीं होना चाहिएसार्वजनिक आधार पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु के बाद सेवा में रखा जाना चाहिए, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

पंजाब सिविल सेवा नियम, VOIume*II—(Government* हरियाणा, वित्त विभाग)

5.32. (ए) एक सेवानिवृत्त पेंशन एक सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जिसे पच्चीस साल या किसी विशेष वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के लिए

निर्धारित कम समय के लिए अर्हता प्राप्त बेहतर सेवा पूरी करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है।

(बी) एक सेवानिवृत्त पेंशन उस सरकारी कर्मचारी को भी दी जाती है* जिसे सरकार द्वारा पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त होना आवश्यक है

पच्चीस वर्ष की अर्हक सेवा या उससे अधिक और किसके पास हैपचपन वर्ष की आयु प्राप्त नहीं हुई।

नोट 1.—सरकार किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार रखती है25 वर्ष की सेवा योग्यता पूरी करने के बाद एक कर्मचारी को नौकरी मिल जाएगीपेंशन के लिए यदि वह किसी पेंशन योग्य पद पर है या उसने समान अवधि के लिए सेवा पूरी कर ली है, यदि वह गैर-पेंशन योग्य पद पर है, लेकिन अंशदायी भविष्य निधि के लाभों का हकदार है, बिना किसी सूचना केकिसी भी कारण से और इस संबंध में विशेष मुआवजे के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। इस अधिकार का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि मैं! यह जनहित में है कि किसी सरकारी कर्मचारी को अक्षमता, बेईमानी, भ्रष्टाचार या बदनाम आचरण के कारण आगे की सेवाओं से मुक्त कर दिया जाए। इस प्रकार इस नियम का खंड (बी) उपयोग हेतु है —

(i) एक सरकार के खिलाफहेरवंत जिनकी कार्यकुशलता ख़राब है लेकिन जिनके ख़िलाफ़ औपचारिक आरोप लगाना वांछनीय नहीं हैअयोग्यता का या जो पूरी तरह से कुशल नहीं रह गया है (अर्थात? जब एक सरकारी कर्मचारी का मूल्य स्पष्ट रूप से उस वेतन के साथ असंगत है जो वह लेता है) लेकिन इस हद तक नहीं कि अनुकंपा भत्ते पर उसकी सेवानिवृत्ति की आवश्यकता हो। इस नोट के प्रावधानों को वित्तीय हथियार के रूप में उपयोग करने का इरादा नहीं है, यानी प्रावधान का उपयोग केवल सरकारी सेवा के मामले में किया जाना चाहिएऐसे लाभ जिन्हें वित्तीय आधार के विपरीत व्यक्तिगत आधार पर बनाए रखने के लिए अयोग्य माना जाता है।

(ii) ऐसे मामलों में जहां भ्रष्टाचार, बेईमानी, कुख्यात आचरण की प्रतिष्ठा स्पष्ट रूप से स्थापित की गई है, भले ही इन नियमों या सार्वजनिक सेवा (पूछताछ अधिनियम XXXVIT) के दंड और अपील नियमों, खंड I, भाग II के परिशिष्ट 24 के तहत कोई विशिष्ट उदाहरण साबित होने की संभावना नहीं है। 1850 का)।

इस नोट में प्रयुक्त 'सरकार' शब्द की व्याख्या उस प्राधिकारी के रूप में की जानी चाहिए जिसके पास सिविल सेवा (दंड और अपील) नियमों के तहत संबंधित सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटाने की शक्ति है।

नोट 2.-सरकारी सेवक को उचित अवसर दिया जाना चाहिएइस नियम के खंड (बी) के तहत प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने की व्यवस्था। हालाँकि, किसी भी राजपत्रित सरकारी सेवक को मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बिना सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा। सभी पिंजरों में- का

राज्य सेवाओं से संबंधित राजपत्रित सरकारी सेवकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा। अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में विभागाध्यक्ष को ऐसी सेवानिवृत्ति राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से करनी चाहिए।

.वोट 3.-एक सरकारी कर्मचारी जिसने इस नियम के तहत सेवानिवृत्त होने का चुनाव किया है और उसने मुख्य प्राधिकारी को इस आशय की आवश्यक सूचना दे दी है, उसे नियुक्ति को भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी की विशिष्ट मंजूरी के अलावा बाद में अपना पद वापस लेने से रोका जाएगा। :बशर्ते वापसी का उसका अनुरोध उसकी सेवानिवृत्ति की अपेक्षित तिथि के भीतर किया गया हो।

(सी)रोकनाआरएमजी पेंशन चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी के अलावा अन्य सरकारी कर्मचारी को भी दी जाती है-

(i) जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद कम से कम तीन महीने का नोटिस देकर सेवानिवृत्त किया जाता है; और

(ii) जो 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद नियुक्ति प्राधिकारी को सेवानिवृत्त होने के अपने इरादे की कम से कम तीन महीने की सूचना देकर सेवानिवृत्त होता है।:

बशर्ते कि जहां नोटिस पचपन वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले दिया जाता है, उसे पचपन वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से पहले की तारीख से प्रभावी नहीं किया जाएगा।

नोट.- नियुक्ति प्राधिकारी चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी को छोड़कर, किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार रखता है। बिना कोई कारण बताए 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद। ऐसे सरकारी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद सेवानिवृत्त होने का एक समान अधिकार भी उपलब्ध है।" भारत के संविधान के अनुच्छेद।

233. (1) होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा पदस्थापना एवं पदोन्नति। किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों को राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से बनाया जाएगा।

(2) कोई व्यक्ति जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, केवल जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र होगा

यदि वह कम से कम सात वर्ष तक वकील रहा हो या एक वकील और

नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की जाती है।

234. जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्तिन्यायाधीशमेंकिसी राज्य की सभी सेवाएँ राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और न्यायशास्त्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद उनके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएंगी।ऐसे राज्य के संबंध में.

235. जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें पोस्टिंग और पदोन्नति भी शामिल है, औरकिसी राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित और जिला न्यायाधीश के पद पर कोई भी पद धारण करने वाले व्यक्तियों को छुट्टी देना उच्च न्यायालय में निहित होगा, लेकिन इस अनुच्छेद में कुछ भी ऐसे व्यक्ति से किसी भी अधिकार को छीनने के रूप

में नहीं माना जाएगा। अपील जो उसने अपनी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कानून के तहत या लेखक के रूप में उच्च न्यायालय को अपनी सेवा की शर्तों के अनुसार अन्यथा निपटाने के लिए की हो सकती है।पीमैं ऐसे कानून के तहत हूं।"

(29) इस स्तर पर प्रक्रिया का संदर्भ लेना भी उपयोगी होगा।reअधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में इसका पालन किया जाना चाहिए। पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 लागू हैं, जिन्हें इसके बाद न्यायिक सेवा नियम कहा जाएगा, जो पंजाब के राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। . इन नियमों को हरियाणा राज्य द्वारा भी अपनाया गया है, और राज्य लोक सेवा आयोग और पूर्ववर्ती समग्र पंजाब के उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद तैयार किया गया था। इन नियमों का भाग-ए अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की योग्यताओं से संबंधित है। एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है और लोक सेवा आयोग द्वारा योग्यता के अनुसार नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है और अर्हता प्राप्त करने वालों की एक सूची तैयार की जाती है। अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, सरकार ने भाग सी के नियम 10 के तहत, योग्यता के आधार पर ऐसे उम्मीदवार का चयन करने का अधिकार सुरक्षित रखा है, जो नियम 8 के तहत केवल योग्य है, चाहे जो भी हो। परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त स्थान. न्यायिक सेवा नियमावली का भाग-डी नियुक्तियों से संबंधित है। सरकार और उच्च न्यायालय के बीच नाम मात्र का संबंध बना हुआ है

अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को उच्च न्यायालय द्वारा बनाए जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार समय-समय पर इस रजिस्टर की जांच करते हैं और उन्हें न्यायाधीशों के आदेशों के तहत वहां से किसी भी उम्मीदवार के नाम को हटाना होगा, जो अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले निर्धारित आयु-सीमा को पार कर चुका है। भाग डी के नियम 4 के तहत, सरकार को न्यायाधीशों के एक प्रस्ताव पर, उच्च न्यायालय के रजिस्टर से किसी भी व्यक्ति का नाम हटाने की शक्ति है।इस पर दीडेट वहन किया गया। प्रस्ताव न्यायाधीशों द्वारा किया जा सकता है यदि वेयह पता लगाएं कि एक चयनित उम्मीदवार सूची में बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह टीवी निम्नलिखित शर्तों में है:—

"4. सरकार, न्यायाधीशों के एक प्रस्ताव पर, किसी भी कारण से, जो उन्हें उचित लगे, उच्च न्यायालय के रजिस्टर से उस पर मौजूद किसी भी उम्मीदवार का नाम हटा सकती है।"

प्रथम दृष्टया, एक अधीनस्थ न्यायाधीश को नियम के तहत नियुक्त किया जाता हैभाग-डी के 7(1) को दो वर्षों के लिए परिवीक्षा पर रखा गया है, जिसकी अवधि को समय-समय पर स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से बढ़ाया जा सकता है ताकि विस्तार सहित परिवीक्षा की कुल अवधि, यदि कोई हो, तीन वर्ष से अधिक न हो। नियम 7(2) किसकी सिफ़ारिश पर राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता हैउच्च न्यायालय, बिना कोई कारण बताए एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि के दौरान उसकी सेवाएं समाप्त कर देता है। नियम का सीधा अर्थ यह है कि जब तक उच्च न्यायालय अनुशंसा न करे, राज्यपालनही सकता। स्वयं, इस नियम के तहत कोई भी कार्रवाई करेगा और पी. परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाओं से छूट देगा। परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर, उच्च न्यायालय को विशेष रूप से राज्यपाल को सिफारिश करने की शक्ति दी जाती है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसके कार्य या आचरण को देखते हुए स्थायी किया जाना चाहिए या नहीं। यह के लिए खुला हैउच्च न्यायालय परिवीक्षा अवधि समाप्त होने से पहले ऐसे अधिकारी के कार्य और आचरण के बारे में एक रिपोर्ट बनायेगा और राज्यपालइसके बाद माव परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं समाप्त कर देगा या उसे उसके मूल पद पर वापस भेज देगा। विभागीय परीक्षा के मामले में, एक केंद्रीय समिति की स्थापना की जाती है और उस समिति का गठन केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्यहाथ, मुख्य न्यायाधीश उस समिति के सदस्यों में से केवल एक है'टी, अन्य सदस्य वरिष्ठ वित्तीय आयुक्त और हैंसरकार के मुख्य सचिव. संभवतः क्योंकि सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है, उसने उच्च न्यायालय की सहमति से एक समिति का गठन करके नियंत्रण बनाए रखा है, जिसके अधिकांश सदस्य कार्यपालिका से हैं। फिर पार्ट-एफ हैन्यायिक सेवा नियम जो अनुशासन, दंड से संबंधित हैं
और अपील. समय-समय पर संशोधित पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1952 को न्यायिक अधिकारियों और विभिन्न दंड लगाने या आदेश पारित करने के अधिकार वाले अधिकारियों पर लागू किया गया है और अपीलीय अधिकारियों को परिशिष्ट 'ए' और 'में दर्शाया गया है। बी', जिन्हें यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है।

परिशिष्ट ए'

दंड की अवधि	अपीलकर्ता को दण्ड देना प्राधिकरण Authority	प्राधिकरण Authority
(i) Censure	Judge of the उच्च न्यायालय, पंजाब	Division Bench हिग काएच कोर्ट, पंजाब
(बी) वेतन वृद्धि रोकना यापीआर)गति, जिसमें रुकना भी शामिल हैएक दक्षता बार में उम्र	ठीक इसी प्रकार से	ठीक इसी प्रकार से
(सी)रौक्टी)एन को इज्चर पोस्ट या टाइम स्केल या एक लोव तकसमय के पैमाने में चरण	सरकार	
(डी)Recovery from pay)fth3 काe या यूनी का pzrt झूठा ग्वेरामेंट को हुआ नुकसानलापरवाही या आदेश के उल्लंघन से	के जज3 उच्च 30urt, Pu	प्रभाग शाखा काऊंचा अदालत
(यह है)Susp n si	सरकार	
(डी सेवा से निष्कासन जो भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्य नहीं होगा	ठीक इसी प्रकार से	

.जी) सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतः अयोग्य ठहराती है		ठीक इसी प्रकार से

भविष्य के रोजगार से

परिशिष्ट बी'

Nature of order	Authority competent	Appellate order
अपील अधिकार		
(a) सरकार अधिकतम पेंशन कम कर रही है नियमों के तहत		
(b) नियुक्ति समाप्त की जा रही है किसी सदस्य की यही स्थिति अन्यथा उसकी सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित आयु तक पहुंचने पर	से वा	के

परिशिष्ट 'बी' का खंड (बी) प्रासंगिक रूप से प्रासंगिक है जिसके तहत सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के अलावा किसी अन्य न्यायिक अधिकारी की सेवा समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकार को दी जाती है-उल्लेख. उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित श्री सिब्बल ने इसे स्वीकार किया,

यहाँ प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'समाप्ति' काफी व्यापक 'इता' है in-इसमें न केवल बर्खास्तगी या सजा के माध्यम से निष्कासन शामिल है, बल्कि 55 वर्ष की आयु में अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित किसी भी कारण से सेवाओं की समाप्ति भी शामिल है। माउंट साबल की रियायत अच्छी तरह से स्थापित है क्योंकि हम पाते हैं कि भाग-एफ भाषा के साथ खुलता हैएफ, यह न केवल अनुशासन, दंड और अपील से संबंधित आदेशों को शामिल करने के लिए पर्याप्त है, बल्कि परिशिष्ट 'बी' में निर्दिष्ट मामलों को भी शामिल करने के लिए पर्याप्त है। पुनः, परिशिष्ट 'ए' के खंड (एफ) और (जी)

सेवा से निष्कासन और बर्खास्तगी से संबंधित हैं और इस आशय का आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी सरकार है और ऐसे आदेश के खिलाफ कोई अपील प्रदान नहीं की गई है। जब हटाने के अलावा किसी अन्य तरीके से समाप्ति होती है; बर्खास्तगी के मामले में राज्य सरकार को सक्षम प्राधिकारी बना दिया गया है और उसके आदेश के खिलाफ अपील का कोई अधिकार पीड़ित अधिकारी को उपलब्ध नहीं है। इस बारे में कोई संकेत देने वाली कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है कि क्या यह अनिवार्य है कि 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के माध्यम से न्यायिक अधिकारी की सेवाएं समाप्त करने से पहले उच्च न्यायालय को प्रस्ताव शुरू करना चाहिए, हालांकि परिवीक्षाधीन के मामले में यह विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय की सिफारिश के बिना उनकी सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकतीं। इन नियमों के तहत किसी न्यायिक अधिकारी के निलंबन का आदेश केवल द्वारा ही दिया जा सकता हैएन कि उच्च न्यायालय द्वारा।

(30)न्यायिक सेवा-नियमों की योजना का अवलोकन करने से संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि उच्च न्यायालय, जिससे भर्ती को विनियमित करने वाले उक्त नियमों को तैयार करते समय परामर्श लिया गया था, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 234 और अनुच्छेद 309 के प्रावधानों में परिकल्पित है, ने स्वीकार किया कि समाप्ति की शक्ति का प्रयोग सरकार उच्च न्यायालय की सिफारिश के बिना भी कर सकती है। सेवाओं की समाप्ति के मामले को वास्तव में एक अलग श्रेणी में रखा गया है और अकेले राज्य सरकार को इस संबंध में शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है।

(31)मैं इसके बाद अन्य दो नियमों, अर्थात् पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 3.26, खंड I, भाग I, और पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 5.32, खंड II का उल्लेख कर सकता हूं, इसके सार को संक्षेप में बताना उपयोगी होगा। ये दोनों नियम वैसे ही हैं जैसे वे वर्तमान स्वरूप ग्रहण करने से पहले अस्तित्व में थे। पक्षों के वकील मानते हैं कि येनियम न्यायिक अधिकारियों पर भी लागू होते हैं, सिवाय इसके कि याचिकाकर्ता और उच्च न्यायालय की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उन्हें अवश्य हीसंविधान के अनुच्छेद 235 के प्रावधानों के अधीन पढ़ा जाएगा। वर्ष 1963 से पहले, चतुर्थ श्रेणी सरकारी सेवक के अलावा अन्य सरकारी सेवक के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष थी,

28 मार्च, 1963 से ही सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी गई, इस आशय के नोट के साथ कि 1 दिसंबर, 1962 को या उसके बाद 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर कर्तव्य। नियमों में इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था कि किन परिस्थितियों में एक सरकारी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद फिर से ड्यूटी पर लौटने की अनुमति दी जा सकती है और इस संबंध में पूर्ण अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी को दिया गया था। सेवानिवृत्त पेंशन का मामला और वे शर्तें जिनके तहत इसे प्रदान किया जा सकता है, नियम 5.32 के अंतर्गत निपटाए गए हैं। सेवानिवृत्ति की आयु से पहले अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में इस नियम में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन जब वर्ष 1963 में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी गई, तो इस नियम में भी बदलाव किया गया और यह संशोधित नियम है। अब इसे ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है। सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष तक बढ़ाकर, नियुक्ति प्राधिकारी, जो न्यायिक अधिकारियों के मामले में भी निर्विवाद रूप से राज्य सरकार है, पुन:मैंऐसे किसी भी अधिकारी को बिना कोई कारण बताए 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है। ऐसी सरकार को एक तदनुरूपी अधिकार उपलब्ध कराया जाता हैनौकर को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद सेवानिवृत्त होना होगा। किसी अधिकारी को 55 वर्ष की आयु में, जो कि वर्ष 1963 से पहले सेवानिवृत्ति की आयु थी, सेवानिवृत्त करने की एकमात्र पूर्व-आवश्यकता यह है कि अधिकारी द्वारा स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने का चयन करने या अनुरोध करने से पहले दोनों तरफ से तीन महीने का नोटिस आवश्यक है। सरकार रिटायर करेगी. दूसरे शब्दों में, नियम 3.26 में संशोधन द्वारा सरकारी कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु तक अच्छे आचरण के अधीन निर्बाध रूप से सेवा में बने रहने का जो भी अधिकार प्रदान किया गया था, उसे पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 5.32 में संशोधन करके एक साथ समाप्त कर दिया गया। खंड II, राज्य सरकार और सरकारी कर्मचारी दोनों के लिए तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त करना वैकल्पिक बनाता है, साथ ही एक और शर्त यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी को सरकारी कर्मचारी की सेवाएं बिना बताए समाप्त करने का पूर्ण अधिकार है। किसी भी कारण से ताकि मामले में कोई संदेह न रहे। इन नियमों को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है और यदि इन्हें एक साथ पढ़ा जाए, तो एकमात्र अनूठा और उचित निष्कर्ष यह है कि वैधानिक नियमों में संशोधन के आधार पर एक सरकारी कर्मचारी की सेवा की शर्तें और नियम तब बदल जाते हैं जब वह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है। 55 वर्ष. इसे अलग ढंग से कहें तो, एक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु यानी 58 वर्ष तक सेवा में बने रहने का जो भी कानूनी अधिकार हो सकता है, वह वैधानिक

नियमों के मद्देनजर एक सरकारी कर्मचारी के रूप में उसकी शर्तों और नियमों को विनियमित करने के कारण हो सकता है। सेवा उसे पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है और 55 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसकी एकमात्र शर्त यह है कि उसकी सेवाएं समाप्त होने से पहले तीन महीने का नोटिस दिया जाए।

(32)इस न्यायालय की पूर्ण पीठ को इस तरह की समाप्ति के वास्तविक महत्व और प्रीतम सिंह बराड़ बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2) में नियम 3.26- और 5.32 के प्रभाव पर विचार करने का अवसर मिला। इन नियमों की वैधता को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई और आग्रह किया गया कि नियुक्ति प्राधिकारी को सेवानिवृत्त करने की अनुमति देने वाला नियम

सरकारी कर्मचारी द्वारा बिना कोई कारण बताए एक विशेष आयु प्राप्त करना संविधान के अनुच्छेद 14 का मनमाना उल्लंघन था। ग्रोवर, जे., जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था, न्यायालय के फैसले को सुनाते हुए नियम 5.32 की वैधता को बरकरार रखा, यह देखा गया कि नियम 3.26 और नियम 5.32 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और सरकारी कर्मचारियों का वर्गीकरण दो समूहों में किया जाना चाहिए, एक में जिन लोगों ने 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली थी और 55 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी और जिन्होंने 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी, उनका मूल्यांकन एक उचित और तर्कसंगत परिकल्पना पर आधारित था। इस संबंध में बॉम्बेव राज्य बनाम सौभागचंद एम. दोशी, (11) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था, जिसमें बॉम्बे सिविल सेवा नियमों के नियम 165-ए में निहित प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा गया था। उस नियम के तहत सरकार के पास किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाएँ बिना कोई कारण बताए समाप्त करने की शक्ति थी यदि उसने 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। इन नियमों का मुद्दा फिर से पंजाब राज्य बनाम मोहन सिंह महली (3) मामले में एक और पूर्ण पीठ द्वारा विचार के लिए आया, और मुख्य निर्णय महाजन द्वारा दिया गया, जे मोहन सिंह को निदेशक, पशुपालन नियुक्त किया गया था। 55 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 5.32 के तहत आवश्यक नोटिस के बदले तीन महीने के वेतन और भत्ते के भुगतान पर उनकी सेवानिवृत्ति का आदेश। निर्धारण के लिए सवाल यह उठा कि क्या नियम 5.32 (सी) के तहत सरकार किसी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद तीन महीने के नोटिस के बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर सेवानिवृत्त कर सकती है। उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि सरकारी कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का पूर्ण अधिकार है और पेंशन अनुदान से संबंधित नियम 5.32

नियम 3.26 में निहित प्रावधानों की सामग्री और आयाम को नियंत्रित या सीमित नहीं कर सकता है। इस विवाद को निरस्त कर दिया गया जैसा कि * में किया गया थाप्रीतम सिंह बराड़ का मामला (2). विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि "नियम 5.32 के तहत सरकार को अपने उन कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त करने का पूर्ण अधिकार है जो 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और एकमात्र शर्त यह है कि बर्खास्तगी से पहले कर्मचारी को तीन महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए; यह स्पष्ट है वहां उसका अनुसरण करता है

यदि नोटिस के बजाय तीन महीने का वेतन दिया जाता है तो यह नियम का उल्लंघन नहीं होगा। नियम 5.32 केवल एक सक्षम नियम हैविद्वान न्यायाधीश की इसी आशय की अन्य टिप्पणी,—"वह।"इसका मतलब है कि उसे 55 साल तक सेवा में बने रहने का अधिकार है, न कि 58 साल तक और उसके बाद, उसे अनुपालन के बाद सेवानिवृत्त किया जा सकता है।नियम 5.32(सी) के साथ।"

(33) श्री सिब्बल द्वारा पी. एन. गुप्ता, एच.एस.ई. में एक प्रयास किया गया था। (टी), अधीक्षण अभियंता। पश्चिमी जमना नहर) पश्चिम वृत्त,
रोहतक बनाम शासन सचिव, हरियाणा, लोक निर्माण विभाग, चंडीगढ़, (12), महाजन और संधवालिया द्वारा निर्णय लिया गया,
जे.जे. डिवीजन बेंच को इस मामले को एक बड़ी बेंच को संदर्भित करने के लिए मनाने के लिए क्योंकि यह तर्क दिया गया था कि प्रीतम सिंह बरार (2) मामले और मोहन सिंह महली के मामले (3) में दो पूर्ण पीठ के फैसलों में लिया गया कानून का दृष्टिकोण सही नहीं था। श्री सिब्बल के इस तर्क को निरस्त कर दिया गया और पूर्ण पीठ के मामलों में निर्णय को अच्छा कानून माना गया।

(34) कानून की स्थिति पर गौर करने के बाद यह सामने आया हैविभिन्न नियमों और ऊपर उल्लिखित निर्णयित मामलों में, जो प्रश्न विचाराधीन है वह यह है कि अनुच्छेद का प्रभाव क्या है235 धारा को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार के अधिकार परएक अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी के 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर तीन महीने के नोटिस पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की छूटन्यायिक सेवा नियमों के भागएफ के नियम 5.32 और परिशिष्ट 'बी' द्वारा इसे सुरक्षित अधिकार के तहत और उस अधिकार के प्रयोग से पहले प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं या शर्तें क्या हैं। हमारे सामने प्रश्न यह है कि जब तक उच्च न्यायालय नियम 5.32 के तहत किसी न्यायिक अधिकारी की सेवाओं को

समाप्त करने के लिए प्रस्ताव शुरू नहीं करता है, सरकार के पास समाप्ति का नोटिस देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और न ही सरकार सलाह मानने से इनकार कर सकती है। इस संबंध में उच्च न्यायालय. याचिकाकर्ता जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ, वह अधिक सहायता नहीं दे सका, लेकिन उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित श्री सिब्बल ने दृढ़ता से तर्क दिया कि नृपेंद्र नाथ बागची के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य के आदेश को ध्यान में रखते हुए (5)और बाद के निर्णयों में दोहराया गया, न्यायिक अधिकारियों पर प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण पूरी तरह से उच्च न्यायालय में निहित है और नियंत्रण की इस शक्ति का आवश्यक परिणाम यह है कि राज्यपाल वर्तमान मामले जैसे किसी मामले में समाप्ति का आदेश तभी पारित कर सकता है जब इस आशय की एक सिफारिश उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, यह आग्रह किया गया है कि यदि उच्च न्यायालय के नियंत्रण को मजाक नहीं बनाया जाना है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखा जाना है,

---

(12) 1969 के सी.डब्लू.502 का निर्णय 2 अप्रैल 1970 को हुआ।

राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार देने वाले नियम 5.32 को अनुच्छेद 235 द्वारा नियंत्रित के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जिसका अपरिहार्य परिणाम यह होगा किराज्य सरकार को किसी की सेवा समाप्त करने का अधिकार प्राप्त हैन्यायिक अधिकारी को तीन महीने के नोटिस पर केवल तभी नियुक्त किया जाएगा जब उच्च न्यायालय को ऐसी कार्रवाई की सिफारिश करनी हो। निवेदन यह है कि अनुच्छेद 235 में प्रयुक्त शब्द "नियंत्रण" को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिएसेवा का निष्कासन और समाप्ति निश्चित रूप से इस तरह के विवाद के दायरे में आता है!

(35) श्री सिब्बल ने आगे दृढ़ता से तर्क दिया कि अनुच्छेद 235 के तहत नियंत्रण का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय द्वारा सेवा के नियमों और शर्तों को नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि उच्च न्यायालय को "न्यायपालिका पर नियंत्रण का एकमात्र संरक्षक बनाया गया है", या किसी भी दर पर नियम पुनःनियम और शर्तों को अनुच्छेद 235 के अधीन पढ़ा जाना चाहिए।

इस संबंध में वह उनकी निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा करते हैंनृपेंद्र नाथ बागची के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का आधिपत्य

(5) (सुप्रा)-

"हम इस निर्माण को स्वीकार नहीं करते हैं। "नियंत्रण" शब्द हैसंविधान में बिल्कुल भी परिभाषित नहीं है। भाग XIV में जोसंघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित मामले में "अनुशासनात्मक नियंत्रण" या "अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार" शब्दों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है। ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए कि सेवाओं के अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार पर विचार नहीं किया गया है। इस संदर्भ में, हमारे निर्णय में, शब्द "नियंत्रण" अवश्य होना चाहिए।अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार शामिल करें. वास्तव में, शब्द हो सकता हैकहा जा सकता है कि इसका प्रयोग कला के एक शब्द के रूप में किया जाता है क्योंकि सिविलSer-बुराई (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों में "नियंत्रण" शब्द का उपयोग किया गया है और एकमात्र नियम जो वैध हो सकते हैं।"नियंत्रण" शब्द के अंतर्गत अनुशासनात्मक नियम आते हैं। इसके अलावा, जैसा कि हम पहले ही दिखा चुके हैं, इन अनुच्छेदों के अधिनियमन के पीछे जो इतिहास है, वह इंगित करता है कि "नियंत्रण" एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय में निहित था, अर्थात् अधीनस्थ की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना।राष्ट्रीय न्यायपालिका और जब तक इसमें अनुशासनात्मक नियंत्रण भी शामिल नहीं होगा, उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। 4 निर्माण के लिए यह सहायता स्वीकार्य है क्योंकि किसी कानून का अर्थ जानने के लिए वैध रूप से कानून की पूर्व स्थिति, दूर की जाने वाली बुराई और उस प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ सकता है जिसके द्वारा कानून विकसित किया गया था। जैसा कि हमने देखा है, "नियंत्रण" शब्द का प्रयोग पहली बार संविधान में किया गया था और इसके साथ "वेस्ट" शब्द भी शामिल है।व्हि "ह एक मजबूत शब्द है। इससे पता चलता है कि उच्च न्यायालय है

न्यायपालिका पर नियंत्रण का एकमात्र संरक्षक बना दिया गया।

इसलिए, नियंत्रण केवल अदालत के दिन-प्रतिदिन के कामकाज को व्यवस्थित करने की शक्ति नहीं है, बल्कि पीठासीन न्यायाधीश पर

अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार पर विचार करता है। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को इन अदालतों पर अधीक्षण देता है और उच्च न्यायालय को रिटर्न आदि मांगने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 235 में "नियंत्रण" शब्द की सामग्री अलग होनी चाहिए। इसमें मात्र अधीक्षण के अलावा कुछ और भी शामिल है। यह के आचरण और अनुशासन पर नियंत्रण हैीवह न्याय करता है. यह निष्कर्ष एक ही दिशा में स्पष्ट रूप से इशारा करने वाले दो अन्य संकेतों से और भी मजबूत हो गया है। पहला यह है कि यदि सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कानून में ऐसा प्रावधान किया गया है तो उच्च न्यायालय का आदेश अपील के अधीन है और यह आवश्यक रूप से इंगित करता हैअनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार में पारित आदेश। दूसरे, शब्द यह हैं कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश के साथ उसकी सेवा के नियमों के अनुसार "सौदा" करेगा और "सौदा" शब्द भी अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र की ओर इशारा करता है न कि प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र की ओर।"

इस तर्क का समर्थन - चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (13), असम राज्य बनाम रंगा मुहम्मद और अन्य (6), और उड़ीसा राज्य बनाम में सुप्रीम कोर्ट के तीन अन्य निर्णयों से मांगा गया है। सुधांशु शेखर मिश्रा और अन्य (10)।

(36) दूसरी ओर, श्री जे.एन. कौशल ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रतिपादित किये।

—

(a) अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय का नियंत्रण राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन है, चाहे वह अनुच्छेद 234 के तहत हो या संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत।

(b) किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की जा सकती है, लेकिन जब ऐसी किसी भी कार्रवाई का कोई प्रश्न शामिल नहीं होता है और किसी अधिकारी की सेवा के नियमों और शर्तों के अनुसार समाप्ति की मांग की जाती है जैसा कि इसमें निर्धारित है उनकी सेवा पर लागू वैधानिक नियमों के तहत, कानून के तहत यह आवश्यक नहीं है कि उच्च न्यायालय प्रस्ताव शुरू करे या सरकार उच्च न्यायालय की सिफारिशों से अलग नहीं हो सकती। यह आग्रह किया जाता है कि नियमों में किसी भी पक्ष द्वारा तीन

महीने के नोटिस पर सेवा समाप्त करने का प्रावधान शामिल किया गया है, जो नियम और शर्तों से संबंधित है।

अधिकारी की सेवा और नियंत्रण का प्रयोग किया जा सकता हैउच्च न्यायालय द्वारा केवल ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन। नियंत्रण, जैसा कि विद्वान वकील ने आग्रह किया है, प्रयोग करने योग्य हैसेवा में बने रहने के दौरान, लेकिन यह प्रश्न कि क्या किसी अधिकारी को 55 वर्ष की आयु के बाद सेवा में रखा जाना चाहिए या नहीं, यह नियंत्रण का विषय नहीं है बल्कि इसके समान हैनियुक्ति, बर्खास्तगी या सेवा से निष्कासन जिसके लिए शक्ति केवल राज्य सरकार में निहित है।

(सी) वह 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद एक न्यायिक अधिकारी हैसेवा में बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, और नियम 5.32 सेवा की एक नई शर्त पेश करता है: तर्क यह है कि एक बार यह तय हो गया कि अधिकारी को सेवा में बने रहना चाहिए, जब तक वह सेवा में रहेगा तब तक नियंत्रण निश्चित रूप से उच्च न्यायालय के पास रहेगा। . लेकिन सवाल अंदर बनाए रखने का हैसेवा को नियंत्रण के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

(डी) अंत में यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में उच्च न्यायालय से परामर्श किया गया था, हालांकि सरकार ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया था, जैसा कि विद्वान वकील ने आग्रह किया था, पत्र में निहित स्थायी निर्देशों के आलोक में सार्वजनिक हित में लिया गया है। क्रमांक 4776-3जीएस-(1)64/15823, दिनांक19/21 मई, 1964। यह प्रस्तुत किया गया है कि स्टैंडउच्च न्यायालय का निर्णय असंगत और बचाव योग्य नहीं था क्योंकि उसने एक ही सांस में याचिकाकर्ता के काम को नागरिक पक्ष में संतोषजनक नहीं पाया और उसे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद से हटा दिया औरसाथ ही उसने सिफारिश की कि अधिकारी को बरकरार रखा जाएवरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में जिस पद पर भी उनका काम अभी भी छह महीने तक देखा जाना था, एक अधिकारी जो थासिविल कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया क्योंकि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को उचित रूप से उसी प्रकार का कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता हैवरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में

कार्य करने और ऐसी अनुमति देने के लिएअधिकारी 55 वर्ष की आयु के बाद पद पर बने नहीं रह सकतेसंभवतः जनहित में हो.

(ई) याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी 3 के खिलाफ लगाए गए दुर्भावनापूर्ण आरोप दुर्भावनापूर्ण और गलत हैं।

(37) मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मुझे श्री कौशल के तर्कों में दम नजर आया। न्यायिक अधिकारियों सहित सरकारी कर्मचारियों के नियम और शर्तें नियमों द्वारा विनियमित होती हैं

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत राज्यपाल द्वारा गठित। नियुक्तियों के संबंध में अधीनस्थ न्यायिक सेवा के नियम केवल राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद संविधान के अनुच्छेद 234 के तहत बनाए जाने हैं। सेवा की शर्तें पेंशन, छुट्टी, भत्ते आदि सहित एक विशाल क्षेत्र को कवर करती हैं, और उनके संबंध में नियम अनुच्छेद 234 में शामिल नहीं हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मामला सेवा के नियमों और शर्तों से संबंधित है और चाहे वह कितना भी व्यापक क्यों न हो अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय को न्यायिक अधिकारियों पर जो नियंत्रण का दायरा दिया गया है, उसका प्रयोग केवल उनकी सेवा की शर्तों और शर्तों के अनुसार ही किया जा सकता है। जब तक कोई न्यायिक अधिकारी सेवा में रहता है तब तक नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित होता है, न कि 55 वर्ष की आयु या उसके बाद सेवा में उसके बने रहने का प्रश्न, जो मुख्य रूप से नियोक्ता (राज्य सरकार) और उसके कर्मचारियों के बीच का मामला है। , अनुच्छेद 235 के अर्थ में नियंत्रण का विषय बन जाता है। ऐसा प्रश्न, मेरे विचार से, केवल सेवा की शर्तों से संबंधित है। जब सरकारी सेवा में 55 वर्ष की आयु हो जाती है, तो वैधानिक नियमों के आधार पर नियम और शर्तें स्वचालित रूप से भिन्न हो जाती हैं और एक नई शर्त पेश की जाती है कि सेवा दोनों तरफ से तीन महीने के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 235 को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि यह अनुच्छेद उच्च न्यायालय को आदेश देता है कि वह अपनी नियंत्रण शक्ति के प्रयोग में किसी न्यायिक अधिकारी के साथ उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार व्यवहार न करे, जैसा कि कानून के तहत निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए, इसमें अनुच्छेद 235 का कोई उल्लंघन नहीं है, जब राज्य सरकार सेवा की शर्तों से संबंधित नियमों के अनुसार 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद तीन महीने के नोटिस पर ऐसे अधिकारी की सेवाएं समाप्त कर देती है। यह मान लेना सही नहीं है कि राज्य सरकार न्यायपालिका को अपने अंगूठे के नीचे रखने की अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी और

इसे न्यायिक अधिकारियों पर लटकने वाली डैमोकल्स की तलवार के रूप में उपयोग करेगी ताकि उन्हें 55 वर्ष की आयु के बाद सेवा में बने रहने के लिए कार्यपालिका की ओर देखना पड़े। साल। इस तरह के दृष्टिकोण का कानून में बचाव नहीं किया जा सकता। सेवा के नियमों और शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति, चाहे वह न्यायिक अधिकारी की हो या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की, केवल अनुच्छेद 309 के तहत राज्यपाल को दी गई है और यह शक्ति उस सीमा तक अनियंत्रित है, जिसका प्रयोग अन्य प्रावधानों के अधीन किया जाना है। संविधान का. अनुच्छेद 233 और 234 केवल न्यायिक सेवा में प्रारंभिक नियुक्तियों से संबंधित हैं और उनका उस सेवा की शर्तों और सेवानिवृत्ति की आयु से कोई लेना-देना नहीं है। सेवा का कार्यकाल निस्संदेह सेवा की एक शर्त है जिसके संबंध में अकेले राज्यपाल को अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने की शक्ति हैसंविधान का. अभी एक और दृष्टिकोण है. नियुक्ति की शक्ति में सामान्य धारा अधिनियम, 1897 की धारा 16 में दिए गए प्रावधान के अनुसार नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को निलंबित या बर्खास्त करने की शक्ति शामिल है। अनुच्छेद 234 के तहत बनाए गए न्यायिक सेवा नियमों में, जिसका एक विस्तृत संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है, समाप्ति की शक्ति परिशिष्ट 'बी' के तहत राज्य सरकार को दिया गया है। वहाँइसलिए, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि प्रश्न को किसी भी कोण से देखा जाए, नियुक्ति और समाप्ति की शक्ति, चाहे वह समाप्ति बर्खास्तगी या निष्कासन के माध्यम से हो या अन्यथा, सरकार के पास है।

(38) मुझे डर है कि नृपेंद्र नाथ बागची के मामले (5) में जिन परिस्थितियों में टिप्पणियाँ की गई थीं, उन्हें ध्यान में रखे बिना इस कथन को बहुत दूर तक आगे बढ़ाया जा रहा है। नृपेंद्र नाथ बागची, जो पश्चिम बंगाल राज्य में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश थे, 31 जुलाई, 1953 को सेवानिवृत्त होने वाले थे और सेवानिवृत्त होने वाले थे। उन्होंने सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें दो महीने की अवधि के लिए सेवा में बनाए रखा गया था। 1 अगस्त, 1953 को उनके ख़िलाफ़ जाँच बैठाने के लिए। 20 जुलाई, 1953 के एक आदेश द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया और अगले दिन उन पर 11 आरोप लगाए गए, जिनमें उन्हें पंद्रह दिनों के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। यह सब राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के संदर्भ के बिना किया गया था। आरोपों की जांच एक आयुक्त को सौंपी गई और यह लंबे समय तक चली। श्री बागची निलंबित रहे। आयुक्त ने बताया कि आरोप साबित हो गए और राज्य सरकार द्वारा उन्हें दूसरा कारण बताओ नोटिस दिए जाने के बाद अंततः उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। लोक सेवा आयोग से परामर्श किया गया

लेकिन उच्च न्यायालय से नहीं। उन्होंने राज्यपाल से अपील की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और अंततः उन्होंने अपनी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय में आवेदन किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 1 जुलाई, 1960 को अपने फैसले से बर्खास्तगी के आदेश के साथ-साथ जाँच को भी रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार की एक अपील खारिज कर दी गई और श्री सिब्बल द्वारा उपरोक्त उद्धृत टिप्पणियों पर भरोसा किया गया।

(39) नृपेंद्र नाथ बागची के मामले (5) में निर्णय अपने विशिष्ट तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए। वहाँ एक पूछताछ में एक जिला न्यायाधीश के विरुद्ध मुक़दमा चलाया गया और सज़ा दे दी गई, जबकि उच्च न्यायालय को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ सरकार की ओर से इस तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई को न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 235 और निर्देशक सिद्धांतों के मद्देनजर पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना माना जाता था। उनके आधिपत्य द्वारा "सौदा" शब्द पर भी जोर दिया गया था जो कि अनुशासनात्मक को इंगित करता था न कि केवल प्रशासनिक क्षेत्राधिकार को। अपने सामान्य शब्दकोश अर्थ में "सौदा" शब्द का अर्थ केवल अनुशासनात्मक शक्ति का प्रयोग नहीं है, बल्कि इसमें पारस्परिक संबंध में कार्य करना भी शामिल है। इस मामले का उद्देश्य उच्च न्यायालय को किसी न्यायिक अधिकारी के नियमों और शर्तों को बदलने की शक्ति देना नहीं है, खासकर जब अनुच्छेद 235 में यह विशेष रूप से निर्धारित किया गया है कि इसमें कही गई किसी भी बात का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय को इससे निपटने के लिए अधिकृत किया जाए। न्यायिक अधिकारी, कानून के तहत निर्धारित उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार छोड़कर। यदि एक बार यह माना जाता है कि पद का कार्यकाल या 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर तीन महीने के नोटिस पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मामला न्यायिक अधिकारी की सेवा की शर्त है, तो अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय को उसके अनुसार व्यवहार करने से रोकता है। ऐसी शर्तों से संबंधित नियमों के साथ, जिनमें से एक स्पष्ट रूप से यह है कि सरकार के पास 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसकी सेवाओं को समाप्त करने की शक्ति है।

(40) रंगो मुहम्मद के मामले (6) में यह माना गया है कि जिला न्यायाधीश या किसी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय

द्वारा किए जाने वाले नियंत्रण में शामिल है और राज्य सरकार के पास इस संबंध में कोई अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों, पोस्टिंग और पदोन्नति के संबंध में राज्य के राज्यपाल को शक्ति देता है और इस शक्ति का प्रयोग संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाना है। यह माना गया कि नियुक्ति, पोस्टिंग और ओरोमोशन की शक्ति में पहले से ही नियुक्त या पदोन्नत और कैडर में तैनात जिला न्यायाधीशों के स्थानांतरण की शक्ति शामिल नहीं है। हालाँकि, तबादलों को नियंत्रण के दायरे में माना गया था क्योंकि यह देखा गया था कि "किसी मंत्री की तुलना में उच्च न्यायालय तबादलों के लिए अधिक उपयुक्त है। हालांकि, एक मंत्री चाहे कितना भी नेक इरादे वाला क्यों न हो, उसके पास कभी भी समान गहन ज्ञान नहीं हो सकता है।" संपूर्ण न्यायपालिका और व्यक्तिगत न्यायाधीशों के कामकाज के बारे में। उच्च न्यायालय के रूप में। उन्हें जानकारी के लिए अपने विभाग पर निर्भर रहना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश और उनके सहयोगी इन मामलों को जानते हैं और व्यक्तिगत रूप से उनसे निपटते हैं। प्रभावित होने की संभावना कम है सचिवों द्वारा, यदि वे स्वयं रुचि रखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छिपा सकते हैं।" चूंकि उच्च न्यायालय को स्थानांतरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी माना जाता है। इसलिए, वहाँ होगा. इस संबंध में राज्य सरकार से परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और प्रश्न जो विचार के लिए उठा, वह यह था कि क्या अनुच्छेद 233 और 235 में परामर्श से संबंधित प्रावधान अनिवार्य या निर्देशिका था और इसमें किया गया एकमात्र अवलोकन थाउनके आधिपत्य का सम्मान यह है कि, "यदि उच्च न्यायालय जो कहना चाहता है उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो परामर्श अपना सारा अर्थ खो देता है और मजाक बन जाता है।"बुरी कृपा से या हाथ से खारिज कर दिया गया। ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय की राय सर्वोच्च सम्मान की हकदार है।"

(41)चंद्र मोहन के मामले (13) ने एक प्रश्न उठायायूपी की वैधता जिला न्यायाधीशों की भर्ती के लिए उच्च न्यायिक सेवा नियम। इन नियमों के तहत एक चयन समिति का गठन किया गयासेवा में नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी। चयनित उम्मीदवारों में से तीन वकील और तीन न्यायिक अधिकारी थे। इन सभी छह अभ्यर्थियों की सूची हाईकोर्ट को भेजी गयी थी. ऊंचाकोर्ट ने चयन को मंजूरी दे दी और उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव को अपनी मंजूरी दे दी। चंद्र मोहन जो यू.पी. सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) से संबंधित थे और थेउस समय उन्होंने कुछ

अन्य अधिकारियों के साथ जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य कियाइसी तरह सरकार को नियुक्तियाँ न करने का निर्देश देने के लिए उचित रिट जारी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर की गईं। दो न्यायाधीशों के बीच मतभेद होने पर मामला तीसरे विद्वान न्यायाधीश के पास भेजा गया और अंततः याचिकाएँ खारिज कर दी गईं। नियुक्तियों को इस आधार पर चुनौती दी गई थीजबकि संविधान के अनुच्छेद 233(1) के तहत, राज्यपाल को अकेले ही परामर्श से जिला न्यायाधीशों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति करने का अधिकार हैसंबंधित उच्च न्यायालय के साथ, राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमअनुच्छेद 309 के तहत एक चयन समिति के गठन का प्रावधान हैमिटी और यह कि नियुक्तियाँ केवल परामर्श में ही नहीं की गईंउच्च न्यायालय के साथ, बल्कि उस समिति के साथ भी। यह आग्रह किया गया कि परामर्श के लिए एक के बजाय दो प्राधिकरणों, अर्थात् उच्च न्यायालय, का गठन किया जाए, जैसा कि संविधान में विचार किया गया है।नियुक्तियों को अवैध बना दिया और इस आशय के नियम असंवैधानिक थे। तर्क का सार यह था कि नियम. उच्च न्यायालय को एक संचारण प्राधिकारी बना दिया गया और चयन की शक्ति वास्तव में गठित चयन समिति के पास थीअनुच्छेद 309 के तहत राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के तहत। यह उल्लेख किया जा सकता है कि चयनित अधिकारियों में से तीन न्यायिक सेवा के सदस्य नहीं थे, लेकिन न्यायिक प्रकृति के राजस्व और मजिस्ट्रियल कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले कार्यकारी के सदस्य होने के कारण उन्हें न्यायिक अधिकारी माना जाता था। यह इस संदर्भ में था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संदर्भ दिया गया था और उनके आधिपत्य द्वारा एक टिप्पणी की गई थी कि एक कार्यकारी से भर्ती की अनुमति देने वाला निय

विभाग अनुच्छेद 233(2) की अभिव्यक्ति "द" का उल्लंघन करेगासेवा" जैसा कि उसमें प्रयोग किया गया है, का अर्थ केवल न्यायिक सेवा है। इस प्रकार यह मामला कोई सहायता का नहीं है।

(42) Sudhansu Sekhar Misra's case (10) से भी संबंधित हैजिला न्यायाधीश के स्थानांतरण के माध्यम से नियंत्रण का प्रश्न। कुछ न्यायिक अधिकारियों को राज्य सरकार के विधि विभाग में सचिवालय में पदस्थापित किया गया। बाद में उच्च न्यायालय उन अधिकारियों को वापस लेना चाहता था और उनके स्थान पर दूसरों को नियुक्त करना चाहता था। राज्य सरकार ने इस तबादले

का विरोध किया और पहले से ही सचिवालय में तैनात लोगों को बनाए रखने पर जोर दिया। इन परिस्थितियों में उनके आधिपत्य ने यह विचार किया कि यदि सचिवालय में उन अधिकारियों की सेवाओं को किसी निश्चित अवधि के लिए सरकार के निपटान में नहीं रखा गया था, तो उन्हें वापस बुलाने और उन्हें पद पर नियुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय खुला था। जिला न्यायालयों के 9 अधिकारियों की अध्यक्षता करना, लेकिन यह भी समान रूप से देखा गया कि अन्य नियुक्त करना उच्च न्यायालय की शक्तियों से परे थासचिवालय में कार्यालय। अनुच्छेद 233 और 235 इस संदर्भ में विचार के लिए आये। नृपेंद्र नाथ बागची का हवाला दिया गयामामला (5) (सुप्रा) जिसके बारे में यह तर्क दिया जाता है कि उसने सभी प्रकार का प्रशासन दियाउच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण। हेगड़े जे., कौनअदालत के फैसले ने बागची के मामले (5) में फैसले के वास्तविक प्रभाव की जांच की, और सावधानी का एक नोट दर्ज किया। क्विन बनाम लीथेम (14) पर भरोसा करते हुए, यह देखा गया कि "एक निर्णय केवल उसके लिए एक प्राधिकारी है जो वह वास्तव में निर्णय लेता है। किसी निर्णय में जो सार है वह उसका अनुपात है और न ही उसमें पाया गया प्रत्येक अवलोकन और न ही जो तार्किक रूप से उससे अनुसरण करता है। इसमें विभिन्न टिप्पणियाँ की गईं। किसी निर्णय से इधर-उधर वाक्य निकालना और उस पर आगे बढ़ना कोई लाभदायक कार्य नहीं है।" निर्णय के अनुपात पर विचार करते समय, उनके आधिपत्य ने निम्नानुसार टिप्पणी की।—

'.....इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि 'नियंत्रण' शब्द पाया जाता है

अनुच्छेद 235 में अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार भी शामिल है। उस मामले में निर्णय के लिए एकमात्र प्रश्न यह था कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने में सक्षम थी। इस न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को यह कहते हुए बरकरार रखा कि उसके पास ऐसा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। उस मामले में यही एकमात्र प्रश्न तय किया गया था।It is

यह सच है कि फैसले के दौरान, इस न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय को इसका एकमात्र संरक्षक बनाया गया है

न्यायपालिका पर नियंत्रण, लेकिन वह टिप्पणी निर्णय के लिए उठे प्रश्न के संदर्भ में की गई थी।"

रंगा मुहम्मद के मामले (6) की भी जांच की गई और उनके आधिपत्य ने देखा कि उस मामले में निर्णय के लिए एकमात्र मुद्दा यह था कि जिला न्यायाधीश, राज्य सरकार या उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास था। उस मामले में निर्धारित नियम इस प्रश्न को निर्धारित करने में कोई सहायता नहीं करता है कि क्या उच्च न्यायालय के पास सचिवालय में कुछ पदों को भरने की शक्ति है, यह देखा गया है कि -

"जिस प्रकार कार्यपालिका किसी विशेष न्यायालय की आवश्यकताओं को नहीं जान सकती, उसी प्रकार उच्च न्यायालय भी सचिवालय में किसी पद की आवश्यकताओं को नहीं जान सकता। जिस प्रकार उच्च न्यायालय न्यायपालिका के कामकाज में कार्यपालिका के किसी भी हस्तक्षेप से नाराज है, उसी प्रकार कार्यपालिका को भी उच्च न्यायालय से उसके कार्यों में हस्तक्षेप न करने के लिए कहने का अधिकार। यह कार्यपालिका का काम है कि वह यह कहे कि कोई विशेष अधिकारी उसकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा या नहीं। उच्च न्यायालय, जैसा कि विद्वान अटॉर्नी-जनरल ने तर्क दिया है, थोप नहीं सकतासरकार ् का कोई भी अधिकारी।"

(43) इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई ऐसा मामला तय नहीं किया गया है जिसे सीधे तौर पर सही कहा जा सके। यदि उच्च न्यायालय की ओर से स्वीकृति के लिए प्रचारित दृष्टिकोण को प्रबल होने की अनुमति दी जाती है और यह माना जाता है कि चूंकि अनुच्छेद 235 के तहत नियंत्रण इसमें निहित है, तो 55 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर न्यायिक अधिकारी की सेवाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया जाता है। इसकी शुरुआत अकेले उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है और इस संबंध में वह जो कुछ भी कहता है वह राज्यपाल के लिए कानून में बाध्यकारी है, यह न्यायिक अधिकारियों की सेवा की शर्तों और नियमों से संबंधित अनुच्छेद 309 के तहत विधिवत बनाए गए नियमों को पूरी तरह से बदलने जैसा होगा। इस तरह के दृष्टिकोण का आवश्यक परिणाम यह है कि "राज्यपाल" और "राज्य सरकार" शब्द, जहां भी वे न्यायिक अधिकारियों की सेवाओं की समाप्ति के संबंध में दिखाई देते हैं। "उच्च न्यायालय" को प्रतिस्थापित कर दिया गया है और बाद की सलाह एक

जनादेश की कानूनी स्थिति मानती है जिसे राज्यपाल द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, इस संबंध में कैबिनेट द्वारा उन्हें दी गई सलाह के बावजूद। ऐसी स्थिति में, हालांकि, नियोक्ता को एक अधीनस्थ पद पर नियुक्त किया जाएगा जिसकी अनुमति नहीं हैएओओएलवी उसके दिमाग इंडेंडेंडेंटएलवी पर वेंएनकैबिनेट की सलाह. हमारावर्तमान में मौजूद संविधान और नियम ऐसी किसी स्थिति की कल्पना नहीं करते हैं। के औचित्य और समीचीनता को अलग रखते हुए

755.

और

की सलाह स्वीकार करने की परंपरा स्थापित करना या उसका पालन करनाउच्च न्यायालय के लिए यह मानना कठिन है कि ऐसी कोई भी सलाह राज्यपाल के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है ताकि वह परमादेश रिट जारी कर सके।नियम 5.32 के तहत उसे किसी न्यायिक अधिकारी की सेवाएं समाप्त नहीं करनी होंगी। निःसंदेह, उच्च न्यायालय से परामर्श किया जाना चाहिए क्योंकि वही नियंत्रण रखता हैन्यायिक अधिकारियों पर, लेकिन इसे कानून के नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता हैकि ऐसा परामर्श बाध्यकारी है। हम लेखों में "परामर्श से" और "परामर्श के बाद" अभिव्यक्ति पाते हैं233 और 234 और उन्हें चंद्रमौलेश्वर प्रसाद बनाम, पटना उच्च न्यायालय और अन्य (9) में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा समझा गया है, जिसमें यह माना जाता है कि का अंतर्निहित विचारपरामर्श केवल इतना है कि "राज्यपाल को निर्णय लेना चाहिए।"उसके मन की बात उच्च न्यायालय से विचार-विमर्श के बाद हुई है। उच्च न्यायालय वह निकाय है जो जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने के योग्य अधिकारियों की दक्षता और गुणवत्ता से भली-भांति परिचित है। उनकी खूबियों को भी केवल उच्च न्यायालय ही जानता हैअवगुण. इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई कोई भी सलाह मान लेनी चाहिए। . ई" एक बहुत शिक्षाप्रदपरामर्श के संबंध में चित्रण उनके भगवान द्वारा दिया गया हैइस मामले में जहाज और मैं इसे पुन: प्रस्तुत करने से बेहतर कुछ नहीं कर सकता: -

> "यदि उच्च न्यायालय ए की सिफारिश करता है जबकि राज्यपाल की राय है कि बी का दावा ए से बेहतर है तो यह अनिवार्य हैराज्यपाल को बी की नियुक्ति के प्रस्ताव के संबंध में उच्च न्यायालय से परामर्श करना होगा न

कि ए की। यदि राज्यपाल को ऐसा करना हैए की पदोन्नति के मुकाबले बी के दावे के बारे में उच्च न्यायालय के विचार प्राप्त किए बिना बी को नियुक्त करें, बी की नियुक्ति को अनुच्छेद 233 के अनुपालन में नहीं कहा जा सकता है।संविधान।"

इसलिए, उच्च न्यायालय में नियंत्रण निहित होने के कारण आवश्यक परामर्श को अनुच्छेद 233 या 234 के तहत अलग अर्थ नहीं दिया जा सकता है और न ही इसे आदेश या अंतिम निर्णय के साथ जोड़ा जा सकता है।

(44) गलत निर्णयों के खतरे का संकेत देने वाले काल्पनिक मामलेसरकार इस मुद्दे को सुलझाने में कोई मदद नहीं कर रही है। हम जो कुछ भी जानते हैं, सरकार का निर्णय किसी भी मामले में अधिक सही हो सकता है। मौजूदा मामले में, यह कहना संभव नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया रुख ऐसा था कि किसी अन्य राय पर उचित और प्रामाणिक विचार नहीं किया जा सकता था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में सिविल पक्ष में याचिकाकर्ता का कार्य असंतोषजनक पाया गया उन्हें वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के मूल पद पर वापस भेजने की सिफ़ारिश करते समय, जिस पद पर उन्हें लगभग उसी प्रकार का सिविल कार्य करना था, एक शर्त रखी गई थी कि उनके काम पर छह महीने तक नज़र रखी जाएगी और फिर एक नई सिफ़ारिश की जाएगी। याचिकाकर्ता को संदेह से परे ईमानदार बताया गया था, लेकिन उदारता का भी ध्यान रखना था। सर्कुलर पत्र संख्या 477 में दिए गए निर्देशों पर भरोसा करना सरकार की गलती नहीं होगी3GS-(1)-64/15823,दिनांक 19/21 मई, 1964, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, और उच्च न्यायालय पर जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता को अब सेवा में बनाए रखना सार्वजनिक हित में नहीं है क्योंकि प्रत्यावर्तन पर उसके काम में अपना दिल लगाने की संभावना नहीं है, इससे भी अधिक जब उनकी उम्र 55 साल हो चुकी थी.

(45) मैं जो कानून का दृष्टिकोण अपना रहा हूं, वह एन. श्रीनिवासन बनाम केरल राज्य (8) के रूप में रिपोर्ट किए गए केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा समर्थित है। उस मामले में तथ्य काफी मददगार हैं। राज्य सरकार ने कुछ को छोड़कर कई राज्य सेवाओं के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी, - जी.ओ. (पी) 376/सी6/फिन., दिनांक 12 अगस्त, 1966 के माध्यम से। प्रासंगिक नियम 60 था तदनुसार संशोधन किया गया। नियम के साथ एक नोट जोड़ा

गया था जिसमें प्रावधान था कि एक अधिकारी 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद,नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देने के बाद स्वेच्छा से सेवा से सेवानिवृत्त हो सकते हैं या बाद में इसकी आवश्यकता भी हो सकती हैअधिकारी को बिना बताए तीन महीने का नोटिस देकर सेवानिवृत्त किया जाएगाकिसी भी कारण से। यह नियम राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाया गया था। मुश्किल से कुछ ही महीने बीते होंगे कि सरकार बदल गई और एक और आदेश पारित हो गयासेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करना। नियम 60(ए) में फिर से संशोधन किया गया। श्री श्रीनिवासन जो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे और उन्हें सेवानिवृत्त होने के लिए कहा गया थापुन: संशोधित नियम के तहत, एक अन्य अधिकारी के साथ मिलकर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने वाले पुन: संशोधित नियम की वैधता को चुनौती दी गई। यह सामान्य आधार था कि संशोधित नियम के तहत वह 6 अप्रैल, 1970 को सेवानिवृत्त हो जाते, लेकिन पुन: संशोधित नियम के तहत, उन्हें 4 अगस्त, 1967 को सेवानिवृत्त होना था। ऐसा प्रतीत होता है कि जहां तक न्यायिक सेवा का संबंध है, उच्च न्यायालय के परामर्श से और वास्तव में उसके कहने पर सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन जब नियम में पुन: संशोधन कर सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष कर दी गई तो ऐसा कोई परामर्श नहीं किया गया था। अनुच्छेद 235 पर आधारित एक तर्क, जैसा कि नृपेंद्र नाथ में उनके आधिपत्य द्वारा व्याख्या की गई है।

बागची का मामला (5) की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया थायाचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अनिवार्य सेवानिवृत्तिन्यायिक सेवा के सदस्यों को परामर्श के बाद ही आदेश दिया जा सकता हैउच्च न्यायालय के साथ विचार और अब तक नियम का पुन: संशोधनजैसा कि न्यायिक अधिकारियों का मानना था, इसलिए यह क़ानून की दृष्टि से ख़राब था। मेंतर्क को खारिज करते हुए बहुमत के फैसले में यह देखा गयासंविधान के भाग VI के अध्याय VI के प्रावधानों के तहत राज्य की न्यायिक सेवा के सदस्यों के संबंध में विशेष स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने में विफलता प्रशासनिक अनौचित्य का मामला था, लेकिन इसमें अनुच्छेद 233 से: 235 का कोई उल्लंघन नहीं था। बहुमत के निर्णय से कुछ टिप्पणियों की आवश्यकता है

-यहां प्रस्तुत:-

"इन अनुच्छेदों का उद्देश्य निस्संदेह सुरक्षा प्रदान करना हैन्यायपालिका की स्वतंत्रता लेकिन हम उस उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ा सकते जहां लेख (अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने में अपनी भाषा को उसके व्यापक संभव अर्थ तक प्रेरित करते हुए) हमें ले जाएंगे। न ही हम ऐसी किसी सरकार की कल्पना कर सकते हैं जो संविधान के दायरे में रहकर सेवानिवृत्ति की आयु कम करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए इसे न्यायपालिका की अधीनता हासिल करने का हथियार बना ले। और यदि इस तरह का दुरुपयोग होता है तो मंजूरी कहीं और दी जाएगी, केवल उच्च न्यायालय के परामर्श के बिना उसकी सलाह का पालन करने की कोई बाध्यता नहीं होगी, शायद ही कोई प्रभावी अंकुश होगा।"

-एक और तर्क यह दिया गया कि नियम के कारणसामान्य खंड अधिनियम की धारा 16 में सन्निहित निर्माण,1897, न्यायिक सेवा के सदस्यों की अनिवार्य सेवानिवृत्तिऐसे परामर्श के बाद ही आदेश दिया जा सकता है क्योंकि सेवानिवृत्ति नियुक्तियों के दायरे में आती है जिसके लिए परामर्श किया जाता हैअनुच्छेद 233 और 234 के तहत उच्च न्यायालय आवश्यक थाविद्वान न्यायाधीशों का उत्तर यह है कि "यह मानते हुए भी कि सेवानिवृत्ति पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति धारा के अर्थ में बर्खास्तगी के समान होगी, धारा को इसकी आवश्यकता नहीं हैअनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश देने की शक्ति का प्रयोग उसी तरीके से किया जाएगा और उन्हीं शर्तों या प्रतिबंधों के अधीन किया जाएगा जैसा कि अनुच्छेद 233 या 234 के तहत नियुक्ति की शक्ति है।" अनुच्छेद 233 और 234न्यायिक सेवा में नियुक्तियों के संबंध में लागू होने के लिए आयोजित किया गया था और विद्वान न्यायाधीशों की राय में, किसी भी अनुच्छेद का नियुक्ति के बाद सेवा की शर्तों और सेवानिवृत्ति की आयु या सिविल सेवक के कार्यकाल से कोई लेना-देना नहीं है।

उनके लिए सेवा की एक शर्त है. इस संबंध में एक अवलोकन निम्नलिखित शब्दों में है।—

"यह सच है कि 'जिला न्यायालयों और अदालतों पर नियंत्रणउसके अधीनस्थ' का तात्पर्य इन अदालतों में कार्यरत व्यक्तियों पर कुछ हद तक नियंत्रण से है और इसमें अनुशासनात्मक नियंत्रण और स्थानांतरण की शक्ति जैसे मामले शामिल हैं।'नियंत्रण' शब्द में जैसा कि अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य देखें. बनाम नृपेंद्र नाथ (5),

और असम राज्य बनाम रंगा मुहम्मद (6)। लेकिन एक सिविल सेवक का कार्यकाल होता हैनिःसंदेह उनकी सेवा की एक शर्त है: उत्तर प्रदेश राज्य देखें।वी. बाबू राम (15), पैराग्राफ 13, और यह आसान नहीं हैसमझें कि किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति की आयु तय करना उस पर नियंत्रण का उपाय कैसे माना जा सकता है।"

इसहाक जे. ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया, जिसे वर्तमान रिट याचिका के प्रयोजनों के लिए संदर्भित करना आवश्यक नहीं है और एक उद्धरण उद्धृत करना ही पर्याप्त है।उनकी कुछ प्रासंगिक टिप्पणियाँ जो मेरे विचार का समर्थन करती हैं। विद्वान न्यायाधीश ने कहा:

"सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मेम के स्थानांतरण की शक्तिन्यायिक सेवा का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना एक है

"नियंत्रण" से संबंधित मामला और वह अनुच्छेद 235 के तहतसंविधान के अनुसार, उक्त शक्ति पूरी तरह से उच्च न्यायालय में निहित है, केवल उक्त अनुच्छेद में निहित सीमाओं के अधीन है। लेकिन ये निर्णय याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए विवाद के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं। सेवा समाप्ति की शक्ति, मेरे अनुसार, नियुक्ति की शक्ति के दायरे में आती है। अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय में निहित 'नियंत्रण' केवल उस अवधि से संबंधित है, जिसके दौरान न्यायिक सेवा का सदस्य पद पर रहता है। इसलिए, मैं इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय में निहित न्यायिक सेवा के सदस्यों पर 'नियंत्रण' में उनकी सेवा समाप्त करने की शक्ति भी शामिल है।"

(46) अब दुर्भावना के आरोप पर आते हुए, याचिकाकर्ता ने न्यायिक होने की सराहना किए बिना लापरवाही से ऐसा किया हैअधिकारी को विवेकपूर्वक काम करना चाहिए था। ये सब आरोप है उनका कहना है कि 19 अगस्त, 1970 को, जब प्रतिवादी 3 के चचेरे भाई श्री नर्मदेर सिंह लांबा और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 330/342 के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले की सुनवाई शुरू

होनी थी, तो एक आवेदन किया गया था। लोक अभियोजक को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 494 के तहत अभियोजन वापस लेने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने राज्य के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। कथनआगे यह है कि प्रतिवादी 3 नाराज हो गया और ऐसी नाराजगी के कारण ही याचिकाकर्ता को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा में बनाए रखने की उच्च न्यायालय की सिफारिश की अनदेखी करते हुए सेवाओं की समाप्ति का नोटिस दिया गया है। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि जिस जिला मजिस्ट्रेट ने लोक अभियोजक को मामला वापस लेने के लिए अधिकृत किया था, उसने प्रतिवादी 3 के कहने पर काम किया। याचिकाकर्ता के मन में चाहे जो भी संदेह हो, कोई भी संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने पत्र, अनुलग्नक आर 11 में, कुछ कारण बताए और लोक अभियोजक ने उसी पर कार्रवाई की। मामले की सुनवाई में पहले ही तीन साल की देरी हो चुकी थी और जिला मजिस्ट्रेट का मानना था कि कोई सबूत नहीं है। प्रतिवादी 3 ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया था और किसी भी प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अभाव में। इसके विपरीत उनके कथन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। तुली जे.. ने मामले को विस्तृत रूप से निपटाया है और उसी आधार पर दोबारा चलना व्यर्थ है, सिवाय इसके कि मैं यह देखने से खुद को नहीं रोक सकता कि नेटिशनर से इस तरह के अविवेकपूर्ण कृत्य की उम्मीद नहीं की गई थी। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, याचिकाकर्ता को सेवा में और बनाए रखने के औचित्य या वांछनीयता के बारे में दो राय हो सकती हैं क्योंकि उच्च पद से वापस भेजे जाने के कारण, वह असंतुष्ट महसूस करने के लिए बाध्य है और काम पर अपना दिमाग नहीं लगाने की संभावना नहीं हो सकती है। शासनबाहर। राज्य सरकार ने इस संबंध में जारी निर्देशों के आधार पर कार्रवाई की और दुर्भावना का कोई सवाल ही नहीं उठता।

(47) उपरोक्त कारणों से। मुझे यह मानना चाहिए कि याचिका पर राज्य सरकार द्वारा नोटिस (अनुलग्नक 'ए') दिया गया हैआरउनकी सेवाओं को समाप्त करने में कोई कानूनी खामियां नहीं हैं क्योंकि पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 5.32 के तहत ऐसा नोटिस जारी करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में था। परिणाम में. रिट याचिका खारिज कर दी गई है और लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

डी. के. महाजन, 1 ने मेरे विद्वान भाइयों, एच. आर. सोढ़ी और बी. आर. तुली, ! जे जे द्वारा तैयार किए गए निर्णयों का अध्ययन किया है। मुझे द्वारा तैयार किए गए •निर्णय से सहमत होने में अपनी असमर्थता पर खेद ह

एच. आर. सोढ़ी, जे. यह महत्वपूर्ण है कि जहां तक ऐसे मामलों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का सवाल है, सोढ़ी, जे., 'एलएच-एलआई जे' से भिन्न नहीं हैं। उन्होंने केवल संविधान की व्याख्या के प्रश्न पर मतभेद व्यक्त किया है। जहां तक संविधान की व्याख्या का सवाल है, तुली जे. द्वारा भरोसा किए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले स्पष्ट हैं, और इस कारण से, मैं अपने विद्वान भाई तुली जे की राय से पूरी तरह सहमत हूं।

पूर्ण पीठ का आदेश

(49) बहुमत के निर्णय को देखते हुए यह याचिका स्वीकार की जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त करने का 20 अगस्त 1971 को जारी नोटिस रद्द किया जाता है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,हरियाणा।